

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय  
फौजदारी अपीलीय अधिकारिता  
फौजदारी अपील संख्या 967/2015

जगबीर सिंह .....अपीलार्थी (गण)

बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) .....प्रतिवादी (गण)

निर्णय

के. एम. जोसेफ, (न्यायाधीश)

1. अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (तत्पश्चात संक्षिप्त में, भा.द.स. के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 302 एवं 506 के तहत विचारण न्यायालय ने अपराधी करार किया है, और इनके द्वारा उच्च न्यायालय में दाखिल अपील असफल रहने के कारण, इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई।

2. संक्षिप्त में, अपीलार्थी के खिलाफ अभियोजन का मामला कुछ इस प्रकार है:

मृतका का विवाह अपीलार्थी से सन 1999 में हुआ। अपीलार्थी, उस वक्त बेरोज़गार था। बाद में, उसकी नौकरी के.रि.पु.ब. में लग गई। वह अपनी पत्नी को इस आधार पर साथ ले कर नहीं गया कि वो उसको दूर नहीं ले जा सकता। पत्नी, मृतका की माँ के साथ उसके घर में रहती रही। अपीलार्थी अपनी

पत्नी को प्रताड़ित करता था और उसके अपने भाई की पत्नी के साथ अवैध सम्बन्ध थे। एक पंचायत भी हुई थी। एक समझौता भी हुआ, जिसके अनुसार चार वर्षों के बाद, जब अपीलार्थी का तबादला दिल्ली हुआ, तो उसने मृतका की माँ को आश्वासन भी दिया कि वो अपनी पत्नी को प्रताड़ित नहीं करेगा और वह अपनी सास और पत्नी के साथ रहने लगा। अभियोजन पक्ष का भी यही मानना है कि अपीलार्थी ने अपने भाई की पत्नी के साथ अवैध सम्बन्ध जारी रखा। दिनांक 23.01.2008 को मृतका की माँ अपनी दूसरी बेटी के ससुराल चली गई। दिनांक 24.01.2008, को लगभग शाम 6 बजे, अपीलार्थी शराब के नशे में घर आया और अपनी पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का और थोड़ा अपने ऊपर भी और उसने अपनी पत्नी की तरफ जलती हुई माचिस की तिल्ली फेंक दी। शुरुआत में, अपीलार्थी और मृतका दोनों को अस्पताल ले जाया गया। पहले जो पत्नी ने बयान दिया वो अपीलार्थी हेतु अभियोगात्मक नहीं था। तथापि, दिनांक 27.01.2008 को मृतका ने अपने मृत्युकालिक कथन में अपीलार्थी की ओर ऊँगली से इशारा कर के आरोप लगाया कि अपीलार्थी ने ही उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे आग लगाई थी। शुरुआत में, दिनांक 27.01.2008 को मृत्युकालिक कथन के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत FIR दर्ज हुई, जिसे, मृतका की जलने के कारण हुई मृत्यु से, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में परिवर्तित कर दिया गया। यह

भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत अपनी पत्नी को धमकाने के अलावा लगाया गया आरोप है।

3. अभियोजन पक्ष के द्वारा 31 गवाहों की गवाही की गई। अभियोजन पक्ष के सबूतों के समापन होने के बाद, अपीलार्थी से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (तत्पश्चात, संक्षिप्त में 'संहिता' के रूप में निर्दिष्ट किया) की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई।

विचारण न्यायालय के निष्कर्ष:

4. यह एक ऐसा मामला है, जहाँ दो मृत्युकालिक कथन हैं, अर्थात्, एक 24.01.2008 को दिया गया और दूसरा 27.01.2008 को। 24.01.2008 को दिए गए बयान के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि यह वास्तव में यह वो विवरण है जो मृतका के एम.एल.सी. में भी दर्ज है और यह कहा गया है कि इसका झुलसाने से संबंधित पुराना विवरण रहा है, जब उसका पति धूम्रपान के लिए माचिस जलाने की कोशिश कर रहा था; जैसा कि मरीज़ ने खुद बताया कि दुर्घटनावश मोटर साइकिल की टंकी से तेल के रिसाव के कारण आग लग गई थी। मरीज़ एवं उनका पति जल गए थे। मरीज़ अपने शरीर से मिट्टी के तेल की दुर्गन्ध आने का कारण स्पष्ट करने में असमर्थ है।

5. विचारण न्यायालय ने इस विवाद पर भी ध्यान दिया है कि अभि.सा.29 - अन्वेषण अधिकारी ने यह माना है कि, दिनांक 25.01.2008 को, मृतका की माँ ने

अपनी बेटी की तरह ही बयान दिया जो अपीलार्थी को किसी भी प्रकार के दुष्कर्म से मुक्त करता प्रतीत होता है।

6. अभि.सा.10 - श्रीमती इन्द्रावती पर टिपण्णी करते हुए, न्यायालय उनकी गवाही से जान पाते हैं कि गवाह घटना के घट जाने के बाद उस स्थान पर पहुंची थी और उसने मृतका एवं अभियुक्त, दोनों को जली हुई अवस्था में देखा था। वो घटना की चश्मदीद गवाह नहीं थी। मृतका की माँ छोटी देवी-अभि.सा.-7 के लिए भी यह सत्य पाया गया है। दिनांक 24.01.2008 को दिए गए मृत्युकालिक कथन के संदर्भ में इस बयान का कोई औचित्य नहीं है। प्रथम वृत्तांत के संदर्भ में हम अनुच्छेद 49 का उल्लेख कर सकते हैं:

“49. पहले वृत्तांत के अनुसार, यह मोटर साइकिल के पेट्रोल नली में रिसाव ही था, जो आग लगने का और अभियुक्त एवं मृतका के जलने का कारण था, और इस संदर्भ में, अभि.सा.30 की गवाही बहुत अहम हैं। अभि.सा.30 डॉ. ठाकुर ठुस्सु ने बयान दिया है कि अभियुक्त जगबीर सिंह की एम.एल.सी. Ex. PW 30/A और मृतका संतोष की Ex. PW 30/B के अनुसार, तथाकथित विवरण झुलसाने का था, जब अभियुक्त धूम्रपान करने के लिए माचिस की तीली जला रहा था और दुर्घटनावश पास में रिसाव होते पेट्रोल की टंकी से आग लग गई, उन दोनों को ही आग ने घेर लिया, लेकिन उसी समय, डॉ. के.के.शर्मा, जिन्होंने उनकी जाँच की थी और जो अस्पताल से चले गए थे (और उनके वर्तमान पते की पुष्टि नहीं हो पायी है, इसी कारण, चिकित्सा अधीक्षक से अनुरोध किया गया कि किसी अन्य डॉक्टर या डॉ. के.के. शर्मा के हस्ताक्षर एवं लेखनी से सुपरिचित डॉक्टर या डॉक्टरों को नियुक्त किया जाए, जो एम.एल.सी. की विषय वस्तु के बारे में गवाही दे सके। अभि.सा.30 डॉ. ठाकुर ठुस्सु, वरिष्ठ/स्थानिक डॉक्टर, बर्न्स एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग, सफदरजंग अस्पताल

को बुलाया गया), इस एम.एल.सी. के विवरण पर डॉक्टर ने विश्वास नहीं किया, जिन्होंने विशेषकर यह उल्लिखित किया है कि पति-पत्नी दोनों अपने शरीर से आती मिट्टी के तेल की गंध का कारण बता पाने में असमर्थ थे और जाँच में यह पाया गया कि उनके शरीर से मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी, और इस संदर्भ में डॉ. के.के. शर्मा ने एक विशेष टिपण्णी संलग्न की थी, कि मरीज़ अपना सही विवरण नहीं दे रहा है।”

7. पेट्रोल की गंध और मिट्टी के तेल की गंध के बीच में अंतर को अभि.सा.31

वरिष्ठ विज्ञान सहायक (रसायन विज्ञान) ने स्पष्ट किया हैं। आगे यह भी पाया गया

कि मृतका के चेहरे, गले, पिछले धड़, निचले हिस्से, दोनों ऊपरी अंगों, दोनों निचले

अंगों के कुछ हिस्सों पर जलने के गहरे निशान थे। चोंटो के अध्ययन से यह तो

स्पष्ट हो जाता है कि वह पेट्रोल रिसाव वाली मोटर साइकिल से जलने वाली चोंटें

नहीं हैं क्योंकि आग का नीचे की दिशा से ऊपर जाना और शरीर के ऊपरी हिस्से

को जलाना लगभग असंभव सा है। पेट्रोल रिसाव की स्थिति में बहुत ही कम मात्रा

में तेल का रिसाव हुआ होगा। बीड़ी भी बरामद नहीं हुई हैं। घर से कपड़े बरामद हुए

थे जो जली हुई अवस्था में थे और घटना के तुरंत बाद घर में मिट्टी का तेल मौजूद

पाया गया जो 27.01.2008 को मृत्युकालिक कथन के दर्ज होने से काफी पहले से

मौजूद था, इस से अपीलार्थी का अपने बचाव हेतु प्रतिवाद पूर्णतः नष्ट हो जाता है।

अपीलार्थी ने घर में मिट्टी के तेल की मौजूदगी और कपड़ों में मिट्टी के तेल के

अवशेष कैसे आए को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अपीलार्थी का मृतका की

अन्य बहनों और साडु भाई का मृतका की माँ के साथ मिल कर उसको संपत्ति से

वंचित रखने के षड्यंत्र को लेकर तैयार किया गया मामला बेबुनियाद पाया गया है।

यह दलील, कि, दिनांक 27.01.2008 को दिया गया मृत्युकालिक कथन विस्तृत

था और इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, को नकारा गया था।

8. जाँच अधिकारी के द्वारा चिकित्सक से मृतका का मृत्युकालिक कथन देने हेतु

मैडिकल फिटनेस होने का प्रमाण पत्र न लिए जाने को, महत्वपूर्ण नहीं माना गया।

यह ऐसा मामला नहीं था, जहाँ किसी भी समय मृतका को बयान देने हेतु अस्वस्थ

पाया गया हो। अभि.सा.30 डॉक्टर से मृतका की जलने की प्रकृति और दी गई

दवाइयों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में कोई सवाल नहीं किया गया कि

उसके लिए बिना प्रमाणित हुए बयान देना संभव नहीं था। एम.एल.सी. EX 30/B यह

नहीं दर्शाती कि मरीज़ बयान देने के लिए अस्वस्थ है। अभि.सा.1, 7, और 29 के

साक्ष्यों पर भरोसा करना पड़ा ताकि मृत्युकालिक कथन पर पुनः विश्वास किया जा

सके। अभि.सा.29 - जाँच अधिकारी को अस्पताल से आये हुई कॉल की वजह से

अस्पताल जाने के सन्दर्भ में इन से कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया। समय के

फर्क को, जैसा कि अभि. सा. 29 के परिसाक्ष्य और मृत्युकालिक कथन संख्या 20/B,

से प्रकट होता है यह तथ्य पराजित करता है कि सटीक समय याद नहीं रखा जा

सकता है। मृतका वार्ड में थी या आई.सी.यू. में, इसको ले कर साक्ष्यों के बीच में

व्याप्त असंगति के संबंध में, मृत्युकालिक कथन पर विश्वास किया जा रहा है, जहाँ

आई.सी.यू. वार्ड की तरफ संकेत दिया गया है। मृत्युकालिक कथन दर्ज कराया गया

बिना इस बात का ध्यान रखकर कि कॉल के आधार पर कैसा बयान देना चाहिए। अभि.सा.1 और अभि.सा.7 ने मृत्युकालिक कथन के दर्ज होने का समर्थन किया है, क्योंकि वे साक्षी हैं। मृतका की माँ अभि.सा.7 की गवाही यह उजागर करती है कि हालांकि उसकी बेटी बेहोशी की हालत में थी, किन्तु बयान देने में सक्षम थी। दिनांक 24.01.2008 को दिया हुआ पहला मृत्युकालिक कथन जाँच अधिकारी ने बिना किसी चिकित्सक द्वारा जारी किये गए प्रमाणपत्र के दर्ज भी किया था। दिनेश (पड़ोसी) का साक्ष्य मृत्युकालिक कथन को संपुष्ट करता पाया गया है। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 506 के तहत दोषी पाया गया है और इसके तहत सजा भी दी गई है। उसको अजीवन सश्रम कारावास के मुख्य दंडादेश के अलावा इस अपराध के लिए आर्थिक दंड भी दिया है। इसके साथ-साथ, अपीलार्थी को अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दो वर्षों का सश्रम कारावास भी दिया गया है। दोनों सजाएँ साथ-साथ चलेगीं।

### उच्च न्यायालय का निष्कर्ष

9. पीड़िता द्वारा तीन मृत्युकालिक कथन दिए गए हैं। दिनांक 24.01.2008 को, लगभग रात 09:30 बजे पहला मृत्युकालिक कथन दिया गया जो मरीज़ द्वारा चिकित्सक को दिए गए विवरण के रूप में था। इसे एम.एल.सी. में दर्ज किया गया है। इस में अपीलार्थी की कोई भूमिका नहीं बताई गई है। जो विवरण दर्ज हुआ वो जलने का था, जब उसका पति बीड़ी पीने के लिए माचिस की तिल्ली जलाने की

कोशिश कर रहा था, और तब दुर्घटनावश मोटर साइकिल की रिसाव वाली टंकी से आग लग गई थी। ऐसा कहा गया है कि यह मरीज़ ने स्वयं बताया है। यह भी दर्ज है कि मरीज़ अपने शरीर से मिट्टी के तेल की दुर्गन्ध आने का कारण बता पाने में असमर्थ थी, जैसा कि निर्दिष्ट है, दूसरे मृत्युकालिक कथन के रूप में निर्दिष्ट एवं जिसे अभि.सा.10 ने अपनी केस डायरी में 25.01.2008 को दर्ज भी किया है, इसे उच्च न्यायालय द्वारा उद्धृत किया गया है। न्यायालय यह मानता है कि:

“22. पीड़िता के दूसरे मृत्युकालिक कथन को जाँच अधिकारी ने अपनी दैनिक डायरी में 25.01.2008 को दर्ज किया है। इसका आवश्यक उद्धरण कुछ इस प्रकार पढ़ा जा सकता है:-

“समय दोपहर के 01:31 बजे। यह दर्ज किया जाता है कि मैं, उप-निरीक्षक, साथी सिपाही राम कुमार के साथ डी.डी. संख्या 50-क के संबंध में दिनांक 24.01.2008 को जांच के बाद पुलिस थाने आया। सूचना मिलने पर, मैं वारदात-स्थल पर पहुँचा जो कि मकान संख्या आर.जेड.-40, माताजी लाईन, सुल्तानपुरी रोड़, (...sic...) स्कूल, गोपाल नगर, नज़फगढ़ जहाँ घर के गलियारे में बहुत सारे कपड़े पड़े थे। *Passion* मोटर साइकिल जिसकी पंजीकरण संख्या एच.आर.14-बी-1992 थी, की जली हुई सीट मिली और एक दूधिया रंग की जली हुई जीन्स कमीज़ भी मोटर साइकिल के पीछे पड़ी थी। एवं एक महिला की कुर्ती, एक कार्डिगन, एक सलवार, एक शॉल भी जली हुई अवस्था में मोटर साइकिल के आगे वाले पहिये के पास पड़ी थी। पूरे घर से मिट्टी के तेल की बदबू आ रही थी। थानेदार घटना स्थल पर पहुँचा और पूँछताछ के बाद यह पता लगा कि जगबीर सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो “घर जमाई” (दामाद जो अपने ससुराल में रहता हो) बन कर अपनी पत्नी संतोष और अपनी सास छोटी देवी के साथ उस घर में रहता था। सास छोटी देवी अपनी छोटी बेटी राकेश के ससुराल रोहतक गई थी। पड़ोसियों के अनुसार पति-पत्नी घर में बिल्कुल अकेले रह रहे थे और मोटर साइकिल में पेट्रोल के रिसाव से आग लग गई। जगबीर के.रि.पु.ब. में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत



हैं। जी.91 मोबाईल क्राईम टीम को वायरलेस पर सूचना दी गई। क्राईम टीम ने घटना स्थल के फोटो खींचे और सारे जले हुए कपड़ों और मिट्टी के तेल की केन जो अन्दर वाले कमरे में रखे हुए ड्रम के पास रखी थी, और जिस से बहुत सारा तेल बाहर फर्श पर फैला हुआ था, उसे पुलिस ने फर्द के माध्यम से सबूत के तौर पर ज़ब्त कर लिया है। इसके बाद, मैं, उप-निरीक्षक, सूचना मिलने के बाद सफदरजंग अस्पताल पहुंचा जहाँ जगबीर पुत्र श्री देवी सिंह और संतोष पत्नी श्री जगबीर सिंह एम.एल.सी. संख्या 17608/08 एवं 17609/08 क्रमशः द्वारा भर्ती थे। जगबीर 45% तक जल चुका था और संतोष 60% तक जल चुकी थी। चिकित्सक ने लिखा (sic) कि जब जगबीर ने धूम्रपान के लिए माचिस जलाई, तब दुर्घटनावश आग लग गई क्योंकि मोटर साइकल की पेट्रोल की टंकी रिस रही थी। मरीज़ अपने शरीर से आती हुई मिट्टी के तेल की गंध का कारण बताने में असमर्थ थी। संतोष देवी पत्नी श्री जगबीर सिंह ने बयान दिया है कि मैं अपने पति जगबीर सिंह और माँ छोटी देवी के साथ घर में रहती हूँ। पहले मेरे और मेरे पति के बीच कुछ समस्याएं थी। मेरी शादी सन 1999 में हुई थी। लेकिन गत एक वर्ष से, मैं खुशी-खुशी अपने पति के साथ रह रही हूँ। अब हमारे बीच में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। आज दिनांक 24.01.2008 को मेरी माँ मेरी छोटी बहन राकेश के ससुराल रोहतक चली गई। मेरा पति जगबीर शाम को के.रि.पु.ब. में सफाई कर्मचारी की नौकरी करके घर लौटा। हमने अपना रात का खाना खा लिया था और सोने की तैयारी कर रहे थे। मैंने गेट बंद कर लिया था, जबकि मेरा पति मोटर साइकल के पास “बीड़ी” पी रहा था। तब ही अचानक, मोटर साइकल में आग लग गई। जगबीर आग बुझाने की कोशिश कर रहा था और उसके कपड़ों में भी आग लग गई थी। हम दोनों चीख रहे थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। हमारे पड़ोसियों ने दीवार कुदकर (हमारे घर की) हम दोनों को बचाया। किसी ने भी यह जान बूझ कर नहीं किया था। आपने मेरा बयान दर्ज कर लिया है और मुझ को पढ़ कर भी सुनाया है। मैंने बयान सुना है और यह ठीक है।

संतोष देवी के बांये हाथ के अंगूठे का निशान

उसके बाद, जगबीर सिंह पुत्र श्री. स्व. देवी सिंह का बयान भी दर्ज किया गया, जिन्होंने भी पूर्वकथित बयान ही दिया और

श्रीमती छोटी देवी ने भी यह ही बयान दिया कि उनके बीच कोई झगड़ा नहीं था तथा वह खुशी-खुशी साथ रह रहे थे। दोनों पति-पत्नी आग की चपेट में आ गए क्योंकि जगबीर के “बीड़ी” पीने से और मोटर साइकल से रिसते पेट्रोल से आग लग गई थी। किसी ने भी जान बूझ कर यह नहीं किया है। मुझे किसी पर शक नहीं है। थानेदार को सभी तथ्यों से अवगत कराया गया और मामले को लंबित रखा गया है।

(बलपूर्वक कहा)

10. इसके बाद, न्यायालय ने 27.01.2008 को दिए गए मृत्युकालिक कथन को निर्दिष्ट किया है, जिसे हम बाद में निर्दिष्ट करेंगे।

11. पहले मृत्युकालिक कथन को इस आधार पर नामंजूर कर दिया गया है कि वो उसके पति की उपस्थिति में दिया गया था। अभि.सा.30 चिकित्सक, जिन्हें दूसरे चिकित्सक, अर्थात् डॉ. के.के.शर्मा, जिन्होंने वास्तव में एम.एल.सी. तैयार की थी, के हस्ताक्षर को पहचानने के लिए परीक्षण किया गया और जिनकी गवाही नहीं हो पाई थी, उन्होंने विशेषतः यह कहा है कि स्पीरिट और मिट्टी के तेल की गंध अलग-अलग होती है। इसका कोई उचित स्पष्टीकरण न दिया जा सका कि क्यों शरीर और कपड़ों से मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी। अपीलार्थी/मृतका के पति की मौजूदगी, मृतका को सच बोलने से रोक रही थी। दूसरा मृत्युकालिक कथन, जो अगले दिन दिनांक 25.01.2008 को दोपहर 01:30 बजे दर्ज हुआ था भी इस कारण नामंजूर कर दिया गया, क्योंकि, उसका पति भी उस ही अस्पताल में था और यह उसकी उपस्थिति में दर्ज किया गया था। न्यायालय ने जांच अधिकारी-अभि.सा.29 की गवाही पर भी चर्चा की जिन्होंने तीसरे मृत्युकालिक कथन को दर्ज किया था। न्यायालय ने

मृत्युकालिक कथन के अंतर्वस्तु पर भी चर्चा की और इस तथ्य को पाया कि अभि.सा.

1 और 7 की गवाही अभि.सा.29 को समर्थन करती है। एम.एल.सी. दिनांकित 24.01.2008 के अनुसार मृतका पूर्णतः सचेत और उन्मुख थी। बयान हेतु उसका मानसिक संकाय, कभी भी अक्षम नहीं था। मृतका 27.01.2008 को बयान देने के लिए समर्थ थी, इस पर संदेह नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी के द्वारा तैयार किया गया अपना बचाव सुस्पष्ट रूप से झूठा पाया गया है। मृत्युकालिक कथन एक ऐसा उत्तर है जो स्वीकृति या मानने योग्य पाया गया है। मिट्टी के तेल की केन और कपड़ों को भी वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेजा गया और सी.एफ.एस.एल. रिपोर्ट में यह पाया गया कि अपीलार्थी के कपड़ों में मिट्टी का तेल था। अपीलार्थी का मिट्टी के तेल को लेकर कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। मौका-नक्शा और फोटों पर भी भरोसा किया गया है।

12. उच्च न्यायालय ने अपील में कोई गुणागुण नहीं पाया और इसलिए इसे खारिज कर दिया।

13. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना।

14. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता निसंदेह इस बात पर ज़ोर देंगे कि इस मामले में तीन मृत्युकालिक कथन हैं। पहले के दो मृत्युकालिक कथनों में, जो मृतका ने स्वयं दिए हैं, अपीलार्थी की कोई अपराधी भूमिका आरोपित नहीं की गई है। बल्कि, आग लगने का कारण अपीलार्थी के बीड़ी जलाने से हुए हादसे को ठहराया गया है।

यह कहा गया है कि, अभि.सा.1- मृतका की बहन के पति जो मृतका से मिलने 26.01.2008 को अस्पताल गया था, से सम्बंधित साक्ष्य हैं। अगले ही दिन अर्थात् 27.01.2008 को, अभि. सा.1 के सिखाने-पढ़ाने के परिणाम स्वरूप मृतका ने एक बिलकुल अलग ही मृत्युकालिक कथन दिया। मृतका की माँ अभि. सा.7 भी अस्पताल में थी। संपत्ति पर दावे को नष्ट करने हेतु षड़यंत्र पर जोर दिया गया है।

15. अन्य शब्दों में, यह दलील अपीलार्थी को हत्यारे के रूप में पेश कर रही है, उसका संपत्ति पर दावा समाप्त हो जाएगा, इस तरह अन्य दोनों बेटियों को विशिष्ट अधिकार मिल जाएगा। इस सन्दर्भ में, उसने यह कहा कि अभि.सा.29 ने यह बयान दिया है कि वो 27.01.2008 को अस्पताल गया था और अस्पताल से आयी हुई टेलीफोन कॉल के आधार पर मृत्युकालिक कथन को दर्ज किया गया था। उन्होंने इस बात पर ध्यान देते हुए यह कहा है कि यह कॉल किसी चिकित्सक ने नहीं की थी जैसा की आमतौर पर ऐसे मामलों में होता है, जहाँ मरीज़ अपना मृत्युकालिक कथन देने का इच्छुक होता है, लेकिन आश्चर्य है कि यह कॉल उसके साइ-भाई अर्थात् अभि.सा.1 ने किया था। अभि.सा.1 ने अपनी गवाही में यह स्वीकारा है कि उसने ही अपनी साली का बयान दर्ज करवाने हेतु पुलिस को फोन किया था। इसलिए, मृत्युकालिक कथन, अन्य शब्दों में, अभि.सा.1 का ही विचार है, जिससे वो अपीलार्थी को संपत्ति अधिकार से वंचित करने का लक्ष्य प्राप्त कर सके। वह आगे बताता है कि मानव हत्या का यह मुकद्दमा असंगत है क्योंकि अपीलार्थी स्वयं 40% तक

जलने के घावों से पीड़ित है। मृत्युकालिक कथन में, ऐसा कहा गया है कि मृतका पर मिट्टी का तेल छिड़कने के बाद, अपीलार्थी ने अपने ऊपर भी थोड़ा तेल डाला था। मैडिकल साक्ष्य यह सिद्ध करता है कि अपीलार्थी भी 40% तक जल गया था। प्रतिपरीक्षा में अभि.सा.15, जो कि एक पुलिस सिपाही है व पुलिस नियंत्रण कक्ष (पी.सी.आर.) में कार्यरत है, के साक्ष्य का उल्लेख किया गया है, उसका यह कहना था कि:

“यह सत्य है कि EX.अभि.सा.15/DA में वर्णित आगे की कार्यवाही, के अनुसार, ऐसा उल्लिखित है कि पति कमरे के अन्दर बीड़ी पी रहा था और पास ही रखी मोटरसाइकल के पेट्रोल की टंकी का ढक्कन खुला पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप पति को आग लग गई और पत्नी ने आग बुझाने की कोशिश की, उसको भी आग लग गई और इन्द्रावती जो उनकी रिश्तेदार है, उसने भी यही कहा कि दोनों पति-पत्नी होश में थे।”

16. उसने, इसलिए, यह बताया कि कथित बयान, जो घटना के बाद सबसे पहले दर्ज हुआ है, वो पहले और दूसरे मृत्युकालिक कथन का समर्थन करता है और आकास्मिक दुर्घटना वश जलने के मामले की सम्भावना की पुष्टि करता है।

17. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने, दूसरी तरफ, ऐसा प्रस्तुत किया कि पहले बयान को मृत्युकालिक कथन मानना गलत होगा। केवल एक मृत्युकालिक कथन है और वो मृत्युकालिक कथन दिनांक 27.01.2008 को दर्ज किया गया था। यह मृत्युकालिक कथन विश्वास करने योग्य है। सिखाने-पढ़ाने के मामले को अस्वीकार किया जाना चाहिए। जहाँ तक अधिकारी का डॉक्टर के प्रमाण पत्र के बिना मृत्युकालिक कथन

दर्ज करने का सवाल है, इस तथ्य को प्रस्तुत किया गया है कि मृत्युकालिक कथन तब दर्ज किया गया था जब मरीज़ वार्ड में थी, यह स्वयं ही दर्शाता है कि उसकी हालत इस हद तक नहीं बिगड़ी थी, अन्यथा वो ICU में होती। अभि.सा.1 और 7 ने मृत्युकालिक कथन को दर्ज होते देखा था। वह मृत्युकालिक कथन एवं अभि.सा.29 जांच अधिकारी की गवाही का समर्थन करते हैं। मृत्युकालिक कथन दिनांकित 27.01.2008 सत्य को उजागर करता है। इसमें सम्मिलित बयान झूठे नहीं हो सकते। मिट्टी के तेल की मौजूदगी की स्पष्टता गवाहों के सूँघने और अभि.सा.31 वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (रसायन विज्ञान) द्वारा कपड़ों पर पाए जाने से हो जाती है और इस स्वीकृत तथ्य से भी कि उस कैन को भी फॉरेन्सिक जांच के लिए भेजा गया है, जिससे मिट्टी के तेल का उपयोग किया गया था, यह अचूक रूप से अभियोजन पक्ष का अभियोग स्थापित करता है।

### मृत्युकालिक कथन से सम्बंधित कानून

18. मृत्युकालिक कथन एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, जैसा की भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 घोषणा करती हैं। किन्तु मृत्युकालिक कथन के सन्दर्भ में अंग्रेजी कानून और भारतीय कानून के बीच एक अंतर है। हम इस सन्दर्भ में, किशन लाल बनाम राजस्थान राज्य<sup>1</sup> में की गई कानून की घोषणा पर ध्यान देंगे:-

“18. अब हम किसी मृत्युकालिक कथन के मूल्यांकन के सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। एक मृत्युकालिक कथन के परीक्षण को लेकर अंग्रेजी कानून और भारतीय कानून के बीच अंतर है। अंग्रेजी कानून के तहत, एक मृत्युकालिक कथन तब ही विश्वसनीय और प्रासंगिकता पूर्ण है, जब ऐसा कथन देने वाला व्यक्ति एक दम आशाहीन स्थिति या निकटस्थ मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हो। इसलिए अंग्रेजी कानून के तहत, इसकी स्वीकार्यता के लिए, कथन देने वाला मृत्यु के वास्तविक खतरे में हो, और उस समय जब उसने कथन दिया हो, और उसे इस खतरे का पूरा डर हो और मृत्यु परिणामस्वरूप हो गई हो। भारतीय कानून के तहत मृत्युकालिक कथन प्रासंगिक है जब जिस व्यक्ति ने कथन दिया है वो मृत्युकालिक कथन देते समय मृत्यु के निकट है या नहीं। मृत्युकालिक कथन केवल मानव हत्या में ही स्वीकार्य नहीं है अपितु दीवानी मुकद्दमों में भी स्वीकार्य है। अंग्रेजी कानून के तहत, स्वीकार्यता इस सिद्धांत पर आश्रित है कि निकट मृत्यु की भावना एक व्यक्ति के दिमाग में ऐसे ही भाव उत्पन्न करती है, जैसे कि एक शपथ अधीन कर्तव्यनिष्ठ और नेक आदमी में होती है। एक सामान्य सिद्धांत जिस पर इस प्रकार के साक्ष्य को स्वीकारा जाता है, वो यह है कि यह बयान चरम सीमा पर दिए जाते हैं, जब व्यक्ति मृत्यु की कगार पर होता है, और जब इस दुनिया की सारी आशाएं खत्म हो जाती हैं, जब झूठ की सारी प्रेरणाएं खामोश हो जाती हैं और मन को केवल सच बोलने के शक्तिशाली विचार से प्रेरित करते हैं। अगर किसी अभियोग के साक्ष्य यह प्रकट करते हैं कि कथन करने वाला कथन करते समय इस अवस्था तक पहुँच जाता है, तब भारतीय कानून के दायरे में, ऐसे मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता की परख करते हुए इसे तवज्जो दी जा सकती है। बशर्ते, यह मामले के अन्य प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है।

(बलपूर्वक कहा गया)

19. लेकिन जब एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा मौखिक या लिखित कथन दिया जाता

है जिसकी मृत्यु निश्चित है, तो मैथ्यू आर्नोल्ड का यह सिद्धांत जीवंत हो उठता है

कि “मरते हुए व्यक्ति के होंठों पर सच होता है” और कोई भी व्यक्ति अपने मालिक

से मिलने मुँह में झूठ लेकर नहीं जायेगा। मृत्युकालिक कथन से सम्बंधित सिद्धांत

अब अनिर्णीत विषय नहीं हैं और यह उचित होगा कि हम पानीबेन (श्रीमती) बनाम

गुजरात राज्य<sup>2</sup> के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का सन्दर्भ ले जिसकी

अवधारणाओं का सारांश कुछ इस प्रकार है:-

“(i) न ही ऐसा कोई विधि का नियम है और न ही विवेक का कि एक मृत्युकालिक कथन पर बिना संपुष्टि के कार्यवाई नहीं हो सकती। (मुन्नु राजा बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(1976) 3 SCC 104:1976 SCC (Cri) 376: (1976) 2 SCR 764])

(ii) अगर माननीय न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि मृत्युकालिक कथन सत्य और स्वैच्छिक है, तो वह इस आधार पर, बिना परिपुष्ट किये दोष सिद्ध कर सकता है। (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम सागर यादव [(1985)1SCC 552:1985 SCC (Cri) 127: AIR 1985 SC 416]; रामावती देवी बनाम बिहार राज्य [(1983) 1 SCC 211:1983 SCC(Cri) 169: AIR 1983 SC 164]).

(iii) इस न्यायालय को मृत्युकालिक कथन की सावधानी से समीक्षा करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह मृत्युकालिक कथन किसी के सिखाने-पढ़ाने, उकसाने या कल्पना का परिणाम नहीं है। मृतका के पास हमलावरों को देखने एवं पहचानने का अवसर था और वो कथन देने में पूर्णतः सक्षम थी। (के. रामचन्द्र रेड्डी बनाम लोक अभियोजक [(1976) 3 SCC 613:1976 SCC (Cri) 473: AIR 1976 SC 1994])।

(iv) जहाँ मृत्युकालिक कथन संदेह जनक हो वहाँ इस पर बिना समर्थन साक्ष्य के कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। (रशीद बेग बनाम मध्यप्रदेश राज्य [(1974)4 SCC 264:1974 SCC(Cri)426])

(v) जहाँ मृतका बेसुध हो और कभी कोई मृत्युकालिक कथन दे ही न पाया हो तो इस सन्दर्भ के साक्ष्य को नकारा जायेगा। (काके सिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य [1981 Supp SCC 25:1981 SCC (Cri) 645: AIR 1982 SC 1021])



(vi) एक ऐसा मृत्युकालिक कथन जो अदृढ़ता से ग्रस्त हो वो दोष सिद्धि का आधार नहीं हो सकता। (राम मनोरथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1981)2 SCC 654:1981 SCC (Cri)581])

(vii) केवल इसलिए कि एक मृत्युकालिक कथन में घटना का विवरण निहित नहीं है, तो इसे नकारा नहीं जाना चाहिए। (महाराष्ट्र राज्य बनाम कृष्णामूर्ति लक्ष्मीपति नायडू [1980 SuppSSC 455:1981 SCC (Cri) 364: FIR 1981 SC 617])

(viii) सामान्यतः, केवल इसलिए कि यह एक छोटा बयान है, इसे नामंजूर नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, बयान का संक्षिप्त होना स्वयं में ही सच होने का आश्वासन है। सूरजदेव ओझा बनाम बिहार राज्य [1980 Supp SCC 769:1979 SCC (Cri) 519: AIR 1979 SC1505])

(ix) सामान्यतः न्यायालय संतुष्ट होने के लिए कि मृतका मृत्युकालिक कथन देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम था, इसके लिए चिकित्सीय राय को देखती है। लेकिन जहाँ चश्मदीद गवाह ने यह कहा हो कि मृतका अपना मृत्युकालिक कथन देने के लिए सचेतन एवं सक्षम था, तो वहाँ चिकित्सीय राय नहीं चलेगी। (नानाहाऊ राम बनाम मध्यप्रदेश राज्य [1988 Supp SCC 152:1988 SCC (Cri) 342: AIR 1988 SC 912])

(x) जहाँ अभियोजन पक्ष का वृत्तांत मृत्युकालिक कथन के दिए गए संस्करण से भिन्न हो, तो इस कथन पर कार्यवाही नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मदन मोहन [(1989) 3SCC 390:1989 SCC (Cri) 585: AIR 1989 SC 1519])”

अनुच्छेद 19 में भी, इसे ऐसे कहा गया है कि:

“19. उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में, हम वर्तमान मामले में तीनों मृत्युकालिक कथनों पर विचार करेंगे और हम मृतका बाई कांता द्वारा दिए गए तीनों मृत्युकालिक कथनों के सन्दर्भ में सत्य को सुनिश्चित करेंगे। इस न्यायालय ने मोहनलाल गंगाराम गेहानी बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1982) 1SCC 700:1982 SCC (Cri) 334: AIR 1982 SC 839] में माना कि:

“जहाँ एक से अधिक मृत्युकालिक कथन की प्रकृति के बयान हो तो वहाँ जो पहले दिया गया हो उसे मुख्य माना जाना चाहिए।”

बेशक, अगर, अनेक मृत्युकालिक कथनों की साख एवं विश्वसनीयता सिद्ध हो जाती हैं, तो उनको भी स्वीकारना ही होगा।”

विभिन्न मृत्युकालिक कथनों की समस्या ने इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है।

20. कुंडला बाला सुब्रमन्ययम और अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य में, इस न्यायालय

ने इस प्रकार, यह माना है कि:

“18. साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) इस सामान्य नियम का एक अपवाद है

कि यहाँ अनुश्रुत साक्ष्य स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है और जब तक साक्ष्य की जांच प्रतिपरीक्षण से हो न जाए, तब तक इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

धारा 32 के तहत, जब एक व्यक्ति बयान देता है, मौत का कारण या ऐसी किसी भी उन परिस्थितियों को लेकर जिस का परिणाम उसकी मृत्यु हो, ऐसे मामलों में जिस व्यक्ति की मृत्यु के कारणों पर प्रश्न चिन्ह लगता हो, तो ऐसे बयान, मौखिक और लिखित में, जो मृतका ने साक्षी को दिया हो, वो एक महत्वपूर्ण तथ्य है एवं साक्ष्य में स्वीकार्य है। मृतका के द्वारा दिया गया बयान, जिसे मृत्युकालिक कथन कहते हैं, इस श्रेणी में आता है, बशर्ते यह मृतका ने तब दिया हो जब वो मानसिक रूप से समर्थ स्थिति में हो। एक मृत्युकालिक कथन जो, एक मृत्यु के कगार पर खड़े व्यक्ति ने दिया हो, उसकी एक विशेष पवित्रता होती है क्योंकि उस पवित्र क्षण, एक व्यक्ति का झूठा बयान देना लगभग असंभव है। निकट मृत्यु की छाया अपने आप में ही बयान की सत्यता का आश्वासन है, जो मृतका अपनी मृत्यु का कारण या उन परिस्थितियों के सन्दर्भ में देता है। इसलिए, एक साक्ष्य के रूप में, मृत्युकालिक कथन लगभग एक पावन स्थान रखता है, जो कि मृत पीड़ित के मुख से आता है। एक बार जब मृत्युकालिक कथन और गवाहों के साक्ष्य न्यायालय के द्वारा सावधानी से की गई समीक्षा पूर्ण कर लेते हैं, तब ये अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्वसनीय साक्ष्य बन जाता है; और अगर न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि मृत्युकालिक कथन सत्य है और

किसी भी झूठ से मुक्त है तो ऐसा मृत्युकालिक कथन, स्वयं ही, बिना किसी संपुष्टि के दोषसिद्ध दर्ज करने के लिए पर्याप्त हैं। यदि एक से अधिक मृत्युकालिक कथन हैं, तो न्यायालय को सारे मृत्युकालिक कथनों का परीक्षण करना होगा ताकि यह पता चले कि हर एक मृत्युकालिक कथन भरोसेमंद होने की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। माननीय न्यायालय को मृत्युकालिक कथन को स्वीकारने एवं भरोसा करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करना होगा कि क्या भिन्न-भिन्न मृत्युकालिक कथन महत्वपूर्ण ब्यौरे में एक दूसरे से मेल खाते हैं या नहीं.....।”

(बलपूर्वक कहा गया)

21. लेल्ला श्रीनिवास राव बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य में, मृत्युकालिक कथन जो दंडाधिकारी ने दर्ज किया, उसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि अपीलार्थी ने मृतका के साथ निर्दयता से व्यवहार किया या उसका उत्पीड़न किया। उसका नाम मृत्युकालिक कथन में कहीं भी नहीं आया था। मृतका बयान देने की अवस्था में थी। इसके पांच मिनट बाद हैड कान्सटेबल ने एक और बयान दर्ज किया। अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप लगाये गए। वह मृतका के आत्महत्या करने के तात्कालिक कारण के सम्बन्ध में थे। न्यायालय ने यह पाया कि मृतका के पिता समेत अन्य गवाहों ने भी अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी के मृतका से निर्दयता से व्यवहार करने के अभियोग का समर्थन नहीं किया था। न्यायालय ने दूसरे मृत्युकालिक कथन पर कार्यवाही नहीं की थी।

22. सायराबानो उर्फ सुल्तानो बेगम बनाम महाराष्ट्र राज्य में, भा.द.सं. की धारा 302 के तहत अपराध हुआ था। अपीलार्थी/आरोपी और मृतका, के बीच झगड़ा था, जिसके दौरान, यह अभियोजन पक्ष का अभियोग था कि, अपीलार्थी ने लालटेन से

मृतका पर मिट्टी का तेल छिड़का था, जिससे मृतका को आग लग गई और अंततः वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। पहले मृत्युकालिक कथन में, मृतका ने आग पकड़ने का कारण एक दुर्घटना को बताया था। उसने अपने पति के परिवार के सभी सदस्यों को किसी भी प्रकार के दुष्कर्म से दोष मुक्त कर दिया था। जब मृत्युकालिक कथन के लिए अगले दिन विशेष न्यायिक दंडाधिकारी को बुलाया गया, तो उसने एकदम नया संस्करण प्रस्तुत किया जिसमें आरोपी पर आरोप लगाया कि उसने मिट्टी के तेल वाली लालटेन को उस पर फेंका था और उसका पति अपनी माँ के बहकावे में आकर उसको मारता था। दंडाधिकारी ने मृतका से पूछा था कि वह क्यों अपना बयान बदल रही है। मृतका ने दंडाधिकारी को यह बताया कि उसे कहा गया था कि वो परिवार के सदस्यों के विरुद्ध बयान नहीं देगी और उसने यह भी दोहराया कि अपीलार्थी / मृतका की सास ने मिट्टी के तेल वाली लालटेन फेंकी थी और वो जल गई थी। मृतका की लगभग एक सप्ताह बाद मृत्यु हो गई। इस न्यायालय ने लेल्ला श्रीनिवास राव बनाम आन्ध्र प्रदेश (सुप्रा), में यह विचारा कि उक्त मामले में साफ़ था कि और कोई साक्ष्य नहीं था, और इस न्यायालय ने सायराबानो बनाम महाराष्ट्र राज्य 2007 (12) SCC 562 में अंततः यह माना कि:

“16. हमारे विचार से, अपराधिक अभियोग निर्णित मामलों और पूर्व उदाहरणों के बजाय तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। वर्तमान मामले में, यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि प्रश्नगत लगे इस घटना से पूर्व भी, अपीलार्थी मृतका को मारता पीटता था और उस से दुर्यवहार करता था। उक्त कथन की रोशनी में यह आवश्यक है कि अन्य साक्ष्यों पर भी विचार किया

जाये। हमारे विचार से, दोनों ही न्यायालयों का मृतका के दूसरे मृत्युकालिक कथन पर विश्वास करना उचित था क्योंकि यह मृतका हलिमाबी द्वारा तथ्यों का सच्चा इंकेशाफी बयान था। मृतका के माता-पिता (अभि.सा.2 एवं अभि.सा.3), डॉ. किशोर (अभि.सा.6) और विशेष न्यायिक दंडाधिकारी (अभि.सा.-5) की गवाही के प्रकाश में, यह नहीं कहा जा सकता कि अधीनस्थ न्यायालयों से कोई चूक हुई है और दोषसिद्धी रद्द करने के लायक है।”

23. अमोल सिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य में, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर दलील को नकार दिया कि वहां एक से अधिक मृत्युकालिक कथन थे और इस आधार पर भी कि दोनों मृत्युकालिक कथनों के बीच अंतर की मात्रा निरर्थक है:

“13. एक से अधिक मृत्युकालिक कथनों के रूप में साक्ष्य का अभिमूल्यन से सम्बंधित कानून अच्छी तरह से स्थापित है। तदनुसार, यह मृत्युकालिक कथनों की बहुसंख्या नहीं है, अपितु इनकी विश्वसनीयता है, जो अभियोजन पक्ष के अभियोग को बल देता है। अगर यह पाया जाता है कि एक मृत्युकालिक कथन स्वैच्छिक, विश्वसनीय और मानसिक रूप से सक्षम अवस्था में दिया गया है तो वो बिना किसी संपुष्टि के भी विश्वसनीय माना जा सकता है। कथन पूर्णतया संगत होना चाहिए। अगर मृतका के पास इस प्रकार के मृत्युकालिक कथन देने के अनेक अवसर थे, यानी, अगर एक से अधिक मृत्युकालिक कथन हैं तो वो संगत होने चाहिए। (कुंडला बाला सुब्रमन्यम बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य [(1993) 2 SCC 684:1993 SCC (Cri) 655]) देखें। तथापि, अगर एक मृत्युकालिक कथन और अन्य के बीच विसंगतियां देखी जाती हैं, तो न्यायालय को विसंगतियों की प्रकृति का परीक्षण करना होगा, नामतः, वह महत्वपूर्ण हैं या नहीं। विभिन्न मृत्युकालिक कथनों की अंतर्वस्तु की संवीक्षा करते हुए, ऐसी स्थिति में, न्यायालय को विभिन्न प्रतिवेशी तथ्यों और परिस्थितियों की रोशनी में यह जाँचना होगा।”

(बलपूर्वक कहा गया)

24.अंततः न्यायालय ने, कथित मामले के तथ्यों में, यह माना कि विसंगतियों ने अंतिम मृत्युकालिक कथन को संदेहजनक बना दिया है और आरोपी को दोषी ठहराना असुरक्षित पाया गया है।

25. हीरालाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, तहसीलदार द्वारा जो पहला मृत्युकालिक कथन दर्ज किया गया था, उस में मृतका ने साफ़-साफ़ कहा था कि उसने अपने आप को मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाने की कोशिश की थी। हालाँकि, दूसरा मृत्युकालिक कथन में विपरीत बयान था। न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ, इस प्रकार यह माना कि:

“9. निर्विवाद, नायब तहसीलदार ने जो प्रथम मृत्युकालिक कथन दर्ज किया था, उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मृतका ने मिट्टी का तेल छिड़क कर खुद को जलाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद के बयान में, जो किसी अन्य नायब तहसीलदार ने दर्ज किया था, उसमें विपरीत बयान दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि एक पहले का मृत्युकालिक कथन चिकित्सक के सामने दिया गया था। विचारण न्यायालय ने डॉ. चतुर्वेदी के साक्ष्य का सन्दर्भ लिया जिहोंने कहा था कि मृतका बिस्तर संख्या-8 पर भर्ती थी, लेकिन मृतका के पिता ने यह बताया कि उनकी बेटी किसी और बिस्तर संख्या पर भर्ती थी।

10. विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय अचानक निष्कर्ष पर इस कथित सम्भावना से पहुँचे कि आरोपी के सम्बंधियों ने मृतका को झूठा मृत्युकालिक कथन देने के लिए विवश किया होगा। इस निष्कर्ष को न्यायसंगत साबित करने के लिए कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई। नायब तहसीलदार जिसने Ext. डी-4 दर्ज किया था, के साक्ष्य को अभि.सा.8 के रूप में जाँचा गया। उसका बयान इस हद तक स्पष्ट था कि जब वह बयान दर्ज कर रहा था तो तब वहां कोई और उपस्थित नहीं था। ऐसे में, दोनों मृत्युकालिक कथनों के मध्य

स्पष्ट विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को दोषी ठहराना असुरक्षित होगा।”

(बलपूर्वक कहा गया)

अपीलार्थी की दोष सिद्धि को रद्द कर दिया गया है।

26. लखन बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, इस न्यायालय ने पत्नी के जलने से पीड़ित होने के कारण हुई मृत्यु के मामले को देखा था। दंडाधिकारी के सामने दिए गए पहले मृत्युकालिक कथन में, मृतका ने यह कहा कि उसके पीछे मिट्टी का तेल डाला गया था, जब वो खाना बना रही थी। अगले मृत्युकालिक कथन में, यह कहा गया था कि अपीलार्थी / आरोपी एक मिट्टी के तेल का भरा हुआ कनस्तर लाया और उसके शरीर पर छिड़क दिया और उसके द्वारा आग लगाई गई और वो जल गई। इस न्यायालय, ने सभी निर्णयों को पढ़ने के बाद, इस प्रकार माना कि:

“21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मृत्युकालिक कथन के मामले में कानून को इस प्रकार संक्षिप्त किया है कि अगर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मृत्युकालिक कथन सत्य और विश्वसनीय है, एक व्यक्ति द्वारा तब दर्ज किया गया है जब मृत्युकालिक कथन देने के लिए मृतका शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम था, और इसे बिना किसी के सीखने-पढ़ाने / दबाव / उकसाने; के दिया गया है तो यह दोषसिद्ध दर्ज करने का इकलौता आधार बन सकता है। ऐसे अवसर पर संपुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। यदि अनेक मृत्युकालिक कथन हैं और उनके बीच विसंगतियां व्याप्त हैं, तो सामान्यतः, उस मृत्युकालिक कथन पर विश्वास कर सकते हैं जिसे दंडाधिकारी जैसे उच्च अधिकारी ने दर्ज किया हो, बशर्ते, ऐसी कोई परिस्थिति न हो, जो इसकी सत्यता पर संदेह उत्पन्न करती हो। यदि ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जहाँ मृत्युकालिक कथन, बिना स्वेच्छा से और अन्यथा भी दिया गया है, इसका समर्थन अन्य साक्ष्य भी न करते हो तब न्यायालय को बड़ी सावधानी से एकव्यक्ति के मामले

के तथ्यों की समीक्षा करनी होगी और निर्णय करना होगा कि कौन सा मृत्युकालिक कथन विश्वास करने योग्य है।”

27. अपनी चर्चा के दौरान, न्यायालय ने पाया कि दूसरा मृत्युकालिक कथन अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर विश्वसनीय था कि यह मृतका द्वारा अपने माता-पिता, जिनका अभि.सा.1 तथा अभि.सा.3 के रूप में परीक्षण किया गया था, के सम्मुख दिये गये पहले के मृत्युकालिक कथन द्वारा पुष्ट होता था।

28. हमें शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य में निर्णय पर भी ध्यान देंगे। यह मामला भी अपीलार्थी की पत्नी/मृतकाको झुलसने से हुए घावों का है। अस्पताल ले जाए जाने पर, पुलिस अधिकारी द्वारा एक बयान दर्ज किया गया जिसमें यह कहा गया था कि आग दुर्घटनापूर्ण थी और यह तब हुआ जब वह चाय बना रही थी। जब अगले दिन, उसके अंकल उस से मिले, उसने बताया कि अभियुक्त ने उस को जलाया था। अगले ही दिन उसने एक बयान दर्ज करने के लिए अर्जी लगाई जो कि दर्ज हुआ। फिर भी मामले के पुनः परीक्षण के लिए एक और प्रार्थना पत्र दिया गया क्योंकि मृतका ने पूर्व में पुलिस अधिकारी के सम्मुख गलत बयान दिया था तथा तदनुसार दूसरा बयान दर्ज किया गया।

29. दूसरे मृत्युकालिक कथन में, मृतका ने कहा था कि वह अपने ससुराल वालों द्वारा जलायी गई थी। यह कहा गया था कि उसके ससुर, सास व ननद ने उसके ऊपर तेल उड़ेला व उसे जलाया। उसने यह भी कहा था कि उसका पति उसके साथ नहीं था किन्तु अगले वाक्य में वो कहती है कि वहां चार लोग थे। चौथा व्यक्ति



उसका पति था। उसने आगे कहा कि उन्होंने कहा था कि जब तक वह गलत बयान नहीं देगी, वे लोग उसे अस्पताल नहीं ले जायेंगे। इसके बाद इसीलिए उसने यह तीसरा मृत्युकालिक कथन दिया। न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

“17. वर्तमान अभियोग में, प्रथम मृत्युकालिक कथन 18.07.1994 को ASI हकीम सिंह (प्र.सा.1) द्वारा दर्ज किया गया था। पीड़िता ने किसी भी अभियुक्त व्यक्ति का नाम नहीं लिया और कहा कि यह एक दुर्घटना का मामला था। हालाँकि, न्यायालय के सम्मुख दिए गए बयान में, हकीम सिंह (प्र.सा.1) ने विशेष रूप से गवाही दी कि उसने देखा कि कथनकर्ता दबाव में थी और मृत्युकालिक कथन दर्ज करते समय, उसके साथ उसकी सास उपस्थित थी। 20.07.1994 को कार्यकारी मैजिस्ट्रेट राजीव पराशर (अभि.सा.7) द्वारा दर्ज अगले मृत्युकालिक कथन में उसने कहा कि वह केवल इस शर्त पर अभियुक्तों द्वारा अस्पताल ले जाई गई थी कि वह एक गलत बयान देगी। यह उसके द्वारा उसके मौखिक मृत्युकालिक कथन तथा SI अरविन्दपुरी (अभि.सा.8) द्वारा 22.07.1994 को दर्ज लिखित मृत्युकालिक कथन में भी दोहराया गया था। अभियुक्तों को दोष मुक्त करार देने वाला मृत्युकालिक कथन जो कि उसके अस्पताल में भर्ती होने के तुरंत बाद दिया गया था वह इस धमकी व बाध्यता के कारण था कि उसे अस्पताल में केवल तभी भर्ती कराया जाएगा जब वह अपने ससुराल वालों तथा पति को बचाने के लिए अभियुक्तों के पक्ष में बयान देगी। प्रथम मृत्युकालिक कथन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं दिया गया मालूम होता जो मानसिक रूप से मुक्त व बिना किसी धमकी के हो। दूसरा मृत्युकालिक कथन अधिक संभाव्य था व हमें स्वाभाविक लगता है। हालाँकि, इसमें चिकित्सक द्वारा यह प्रमाणपत्र नहीं है कि वह मृत्युकालिक कथन देने हेतु स्वस्थ थी परन्तु मैजिस्ट्रेट, जिन्होंने बयान दर्ज किया था, ने प्रमाणित किया था कि वह मानसिक रूप से सचेत तथा बयान देने की स्थिति में थी। महज यह तथ्य कि यह प्रथम मृत्युकालिक कथन के विपरीत था इसे असत्य नहीं बना देगा। अंकल को दिया गया मौखिक मृत्युकालिक कथन, द्वितीय मृत्युकालिक कथन के संगत है, जो अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अपराध को अंजाम देने में भागीदारी की तरफ इशारा करता है। अपने उच्च अधिकारी के निर्देश पर SI द्वारा दर्ज तीसरा मृत्युकालिक कथन दूसरे व मौखिक मृत्युकालिक कथन

के संगत है यद्यपि कुछ मामूली असंगतियाँ भी हैं। तीसरा मृत्युकालिक कथन, चिकित्सक द्वारा यह प्रमाणित किये जाने के बाद दर्ज किया गया था कि वह बयान देने हेतु मानसिक रूप से स्वस्थ थी।”

(बलपूर्वक कहा गया)

30. निर्णयों का सर्वेक्षण प्रदर्शित करता है कि सिद्धांतों का चुनाव निम्नानुसार किया जा सकता है:

क. किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि केवल उस मृत्युकालिक कथन के आधार पर ही की जा सकती है जो न्यायालय का विश्वास वर्धन करता हो;

ख. यदि मृत्युकालिक कथन के विषय में कुछ भी संदेहास्पद नहीं है, तो किसी पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं होगी;

ग. निःसंदेह, न्यायालय को संतुष्ट करना होगा कि, किसी प्रकार से सिखाया या उकसाया नहीं गया है;

घ. न्यायालय को भी विश्लेषण कर निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि कथन करते समय मृतका की कल्पना सक्रिय नहीं थी। इस सन्दर्भ में, न्यायालय को मृत्युकालिक कथन की भाषा की सम्पूर्णता की ओर ध्यान देना चाहिए;

ड. अपने सम्मुख मौखिक व दस्तावेजी दोनों ही रूपों में प्रस्तुत साक्ष्य सामग्री का संज्ञान लेते हुए, न्यायालय को संतुष्ट होना होगा कि यह संस्करण वास्तविकता तथा सत्य से मेल खाता है, जो तथ्यों से स्थापित हो सकता है।

च. तथापि, ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहाँ एक से अधिक मृत्युकालिक कथन हों। यदि एक से अधिक मृत्युकालिक कथन हैं, तब मृत्युकालिक कथन पूर्ण रूप से एक दूसरे से सहमत होने चाहिए। ऐसे मृत्युकालिक कथन भी हो सकते हैं, जहाँ कथनों के मध्य असंगतियाँ नज़र आये। तब न्यायालय को इन असंगतियों के परिमाण का संज्ञान लेना ही होगा। बाद में ये असंगतियाँ संगतपूर्ण भी निकल सकती हैं;

छ. ऐसे मामलों जहाँ कुछ ब्योरे या वर्णन के मामले में असंगतियाँ हैं लेकिन जहाँ तक अभियुक्त का सम्बंध है, प्रकृति में अभियोगात्मक हैं, न्यायालय रिकार्ड पर लाई गई सामग्री पर देखेंगे और निर्णय लेंगे कि किस मृत्युकालिक कथन पर भरोसा किया जाए जब तक कि वह अविश्वसनीय साबित हो;

(ज) मामलों की तीसरी श्रेणी वह है जहाँ एक से अधिक मृत्युकालिक कथन हैं तथा कथनों के बीच असंगतियाँ ठोस हैं तथा एक दूसरे के विरुद्ध होने से मृत्युकालिक कथन समाधान योग्य नहीं हैं। एक मृत्युकालिक कथन में हो सकता है दोषी को ज़रा भी दोष न दिया गया हो तथा मृत्यु का कारण एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना को बता दिया गया हो। इसके उपरान्त एक और मृत्युकालिक कथन हो सकता है जो कि प्रथम मृत्युकालिक कथन से पूर्णतः विपरीत हो। वास्तव में, ऐसी परिस्थिति में, यह केवल एक असंगत मृत्युकालिक कथन का प्रश्न नहीं हो

सकता बल्कि एक ऐसे कथन का जो कि पूर्व में दिए गए मृत्युकालिक कथन से बिलकुल विपरीत है। ये दो से अधिक भी हो सकते हैं।

(ज) तीसरी दशा में, न्यायालय का क्या कर्तव्य है? क्या कोर्ट को चाहिए कि, अन्य किसी चीज़ को देखे बिना, यह निष्कर्ष निकाले कि पूर्ण असंगति को देखते हुए, दूसरा या तीसरा मृत्युकालिक कथन जिस पर अभियोजन पक्ष निर्भर है पूर्व के मृत्युकालिक कथन या कथनों द्वारा नष्ट हो जाता है या क्या यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह न केवल मृत्युकालिक कथनों परन्तु न्यायालय के सामने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत बाकी सामग्री का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन करे तथा फिर भी यह निष्कर्ष निकाले कि अभियोगात्मकमृत्युकालिक कथन विश्वास करने योग्य है?

### बहुलमृत्युकालिक कथनों पर हमारा निष्कर्ष

31. हम मानते हैं कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि का अवलोकन करने पर, जब एक से अधिक मृत्युकालिक कथन हो तथा पूर्व के मृत्युकालिक कथन में, दोषी को न घसीटा गया हो परन्तु बाद के मृत्युकालिक कथन में मृतका एकाएक बदल जाए, तब अभियोग का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। न्यायालय सामग्रियों की पूर्णता के साथ ही भिन्न-भिन्न मृत्युकालिक कथनों के इर्द-गिर्द की परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच के अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं होगा। यदि न्यायालय पाता है कि अभियोगात्मकमृत्युकालिक कथन सत्य स्थिति को उजागर

करता है, विशेष रूप से मृतका द्वारा ऐसा कथन करने की क्षमता तथा उस स्वेच्छा के सम्बन्ध में जिसके द्वारा यह कथन दिया गया जिसमें निसंदेह सिखाने तथा उकसाने को नकार देना शामिल है तथा वे अन्य साक्ष्य भी जो कि अभियोगात्मकमृत्युकालिक कथनका समर्थन करते हैं तब इस पर कार्यवाही की जा सकती है। समान रूप से, वे परिस्थितियां भी देखी जा सकती हैं जो कि मृत्युकालिक कथन को स्वीकृत करने योग्य या अयोग्य बनाती हैं।

### **षडयंत्र**

32. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारे सम्मुख बड़ी दृढ़ता से बहस की गई, कि दिनांकित 27.01.2008 का मृत्युकालिक कथन एक षडयंत्र का परिणाम है। PW-7 अर्थात् अपीलार्थी की सास संपत्ति की मालकिन है। वह एक विधवा है। उसकी तीन बेटियां थी, जिसमें से एक मृतका भी थी। बाकी की दो बेटियाँ भी शादीशुदा हैं। PW-1 उनमें से एक बेटी का पति है। यह अपीलार्थी के संपत्ति पर उत्तराधिकार के अवसर को समाप्त करने हेतु था कि PW-1 अपीलार्थी का साडू भाई उस अस्पताल में गया जहाँ मृतका भर्ती थी। उसको सिखाया जाता है। इस सिखाने का परिणाम ही दिनांकित 27.01.2008 का यह विवादित कथन है। इस तथ्य को PW-1 द्वारा दी गई उस स्वीकृति से समर्थन मिलता है कि वह ही था जिसने पुलिस अधिकारी को कॉल की, अर्थात् PW-29, तथा PW-29, अस्पताल अधिकारियों की बिना किसी

कॉल से आया व उसने मृत्युकालिक कथन रिकॉर्ड किया। निसंदेह PW-7 मृतका की माता की गवाही की प्रतिपरीक्षा उसे एक साक्षी के रूप में दर्शाती है जिसकी गवाही उसके पुलिस को दिए बयान के सन्दर्भ में कांट-छांट को उजागर करती है। इस ही तरह, कुछ कांट-छांट PW-1 के साक्ष्य में भी निकल कर आती है। परन्तु आगे बताए गए कारणों के कारण यह घातक नहीं होगा।

33. विचारण न्यायालय ने इस दावे को मूर्खतापूर्ण मान कर रद्द कर दिया है। संपत्ति PW-7 अपीलार्थी की सास के अधिकार में थी। यह कल्पना से परे है कि किस प्रकार, अपीलार्थी को उसके जीवन के दौरान या उसके निर्वसीयत मरने पर, हिन्दू उत्ताधिकार अधिनियम, 1956 के अंतर्गत संपत्ति पर कोई भी अधिकार होता। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 व 16 पर ध्यान देने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी किसी भी प्रकार के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। कोई संदेह नहीं है कि संपत्ति की वसीयत करने का मार्ग व्यक्ति के लिए सदैव खुला है। अतः हम सोचते हैं कि इस सन्दर्भ में स्वीकृति बदनीयत पर आधारित है।

#### **दिनांक 27.01.2008 का मृत्युकालिक कथन**

34. मृत्युकालिक कथन दिनांकित 27.01.2008 इस प्रकार है:

“मैं अपने माता पिता के घर पर अपनी माता छपोतो देवी तथा पति जगबीर सिंह के साथ रहती हूँ। मेरा विवाह वर्ष 1999 में हुआ था। इसी दौरान लगभग चार वर्षों के लिए, मेरे व मेरे पति के बीच मतभेद थे। पंचायत में समझौता होने के बाद, मैं अपने पति के साथ अपने माता-पिता के घर पर रह रही थी।

24.01.2008 की दोपहर में, मेरी माता राकेश की ससुराल रोहतक चली गई थी। मेरा पति CRPF में सफाईकर्मी के रूप में कार्य करते हैं, जो अपने काम से नशे की हालत में सायं 6 बजे लौटा और मुझे से बोला “तुम मेरे साथ रहना चाहती हो”। मैंने कहाँ ‘हाँ’। फिर जगबीर मुझे एक बड़े कमरे में ले गया और मिट्टी तेल की एक ‘केन’ उठा ली और मेरे ऊपर मिट्टी तेल उड़ेल दिया। उसने मेरे ऊपर मिट्टी तेल उड़ेला और अपने ऊपर कम तेल उड़ेला। तब, मैंने स्वयं को जगबीर की पकड़ से आज़ाद किया और एक छोटे कमरे की ओर भागी, वह मेरा पीछा करता हुआ मेरे पास आया, तब उसने एक माचिस की तिल्ली जलाई और मेरे ऊपर फेंक दी और तुरंत ही मेरे कपड़ों ने आग पकड़ ली। इसके बाद जब मैं स्वयं को बचाने के लिए मुख्य द्वार की ओर दौड़ी उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया जिस कारण मैं एक हैंडपंप के पास गिर गई जो कि घर में ही लगा हुआ था। इसके बाद, मेरे पति ने मोटरसाइकल, जो कि आँगन में पड़ी थी, के पेट्रोल टैंक का पाईप निकाल लिया, जिस कारण मोटरसाइकल के पास आग लग गई, और जगबीर को भी आग लग गई और जब मैंने बचने के लिए हो-हल्ला मचाया, एक लड़का जिसका नाम दिनेश जैन है, जोकि पड़ोस में रहता है, मुख्य द्वार फांद कर अन्दर आया और हैंडपंप की ‘हत्थी’ का प्रयोग कर मुख्य द्वार में लगा ताला तोड़ दिया। तब सभी पड़ोसियों ने जल रहे जगबीर और मुझे बचाया। क्योंकि मेरे पति ने मुझे धमकी दी थी, मैं ठीक उसी दिन अपना बयान नहीं दे पाई। मेरे पति ने मुझ पर मिट्टी तेल छिड़ककर मुझे मारने का प्रयास इस कारण से किया क्योंकि उसके अपनी ‘भाभी’ जिसका नाम बबीता है, से अवैध सम्बन्ध है। आपने मेरा बयान मेरी माता छोटो देवी तथा मेरे ‘जीजा’ विनोद की उपस्थिति में दर्ज किया है, जो कि मुझे पढ़ कर सुना दिया गया है और यह सत्य है।”

### **मृतका की शारीरिक व मानसिक परिस्थिति**

35. हमने मृतका से सम्बंधित MLC की विषय-वस्तु पर ध्यान दिया है। उसकी परिस्थिति नाजुक मानी गई थी। वह बुरी तरह झुलस गई थी। घावों को घातक

समझा गया था। मरीज़, निसंदेह, 02.02.2008 को ही मर गयी थी, जोकि 24.01.2008 को भर्ती होने के बाद से नौवा दिन है।

36. जहाँ तक 27.01.2008 को किये गए मृत्युकालिक कथन का सम्बन्ध है, विशेष रूप से, जब चिकित्सक निकट ही उपलब्ध थे, जांच अधिकारी को चिकित्सक के द्वारा मरीज़ की परिस्थिति सुनिश्चित करने हेतु चिकित्सक के द्वारा उससे सवालों के उपरान्त प्रमाणपत्र प्राप्त करने की सावधानी बरतनी चाहिए थी। यह भी उतना ही सत्य है कि एक मृत्युकालिक कथन जांच अधिकारी द्वारा मृतका से किये गए प्रश्नों के पूर्ववर्ती प्रतीत नहीं होता जिसे वह विवरण को सुनिश्चित कर सकता, जिससे वह उसकी परिस्थिति का सत्यापन प्राप्त कर सकता था।

37. प्रथम प्रश्न, जो एक व्यक्ति के दिमाग में होना चाहिए, कि क्या मृतका एक मृत्युकालिक कथन देने की शारीरिक व मानसिक हालत में थी। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि दिनांक 27.01.2008के मृत्युकालिक कथन में, चिकित्सक द्वारा कोई भी प्रमाणपत्र मौजूद नहीं है जो इस बात को प्रमाणित करता कि मरीज़ होश में थी या मरीज़ कथन देने हेतु शारीरिक व मानसिक रूप से ठीक थी,। वास्तव में, मरीज़, जैसा कि स्वीकार किया गया है, अस्पताल में लेटी हुई थी। मृत्युकालिक कथन के कथानक में भी, PW-29 को मृतका की परिस्थिति सुनिश्चित करने हेतु उससे कोई प्रश्न करते हुए नहीं देखा गया है। निसंदेह यह सत्य है कि चिकित्सक द्वारा मरीज़ के होश में होने तथा एक मृत्युकालिक कथन देने लायक स्थिति में



होने का प्रमाण पत्र न्यायालय का विश्वास बढ़ाने में दूर तक सहायक होता। तथापि,

लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य, में संविधान पीठ ने निम्नानुसार माना था:

“.....जहाँ चिकित्सकीय परीक्षण के बिना भी मैजिस्ट्रेट के परीसाक्ष्य द्वारा यह सिद्ध होता है कि कथनकर्ता कथन देने की स्थिति में था, उस कथन पर कार्यवाही की जा सकती है, बशर्ते न्यायालय अंततः उसको स्वैच्छिक तथा सत्यतापूर्ण माने। चिकित्सक द्वारा एक प्रमाणिकरण अनिवार्य रूप से सावधानी का एक नियम है तथा उस के आधार पर कथन की स्वैच्छिक तथा सत्यतापूर्ण प्रकृति अन्यथा स्थापित की जा सकती है।”

(बलपूर्वक कहा गया)

38. हम इस आधार पर आगे बढ़ सकते हैं कि एक चिकित्सक द्वारा प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति में भी एक मृत्युकालिक कथन पर कार्यवाही करना घातक नहीं होता। तथापि, अपेक्षा यह होती है कि मृत्युकालिक कथन रिकॉर्ड करने वाला यह सुनिश्चित करे कि मरीज़ शारीरिक व मानसिक, दोनों ही रूप से कथन देने के लिए उचित स्थिति में था।

39. अभियोग के तथ्यों पर पुनः ध्यान देते हुए, निम्नलिखित विशेषताएँ महत्वपूर्ण हैं:

(क) मरीज़ को 24.01.2008 को रात के 09:30 बजे अस्पताल लाया गया, जहाँ एम.एल.सी. दर्ज की गई। एम.एल.सी. विशेष रूप से यह दर्ज करती है कि मरीज़ पूरे होश में, केंद्रित थी, और मौखिक आदेशों का पालन तथा बोल पा रही थी। यह सामग्री निसंदेह रूप से प्रकट करती है कि 24.01.2008 को रात के 09:30 बजे मरीज़ पूरी तरह से होश में व केंद्रित थी। वास्तव में, बयान जो उसके/मृतका के द्वारा दिया गया है, को मृत्युकालिक कथन के रूप में उपयोग करने की मांग स्वयं अपीलार्थी द्वारा

की गई है। यदि ऐसा है तो, आगे न बढ़ना अतार्किक होगा, इस आधार पर कि, मरीज़ एक मृत्युकालिक कथन देने में सक्षम थी। मरीज़ ने 25.01.2008 को रात के 01:30 बजे भी एक बयान दिया जो कि अगला दिन था। पुनः इस पर अपीलार्थी द्वारा स्वयं भरोसा किया गया। इसका अर्थ है कि अपीलार्थी स्वयं भी इसी आधार पर आगे बढ़ रहा है कि मृतका 25.01.2008 को कथन देने की स्थिति में थी।

(ख) यह 27.01.2008 को है, कि जब अपीलार्थी को फँसाने वाला विवादित मृत्युकालिक कथन दिया गया। यह एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया। हमने मृत्युकालिक कथन की संपूर्णता प्रदर्शित की है। हमें निसंदेह इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि पुलिस अधिकारी अपना आधिकारिक कार्य कर रहा था ऐसी कोई भी स्वीकार्य सामग्री नहीं है जो दर्शाये कि वह अपीलार्थी को फँसाने में रुचि रखता था या वह अभि.सा.1 या अभि.सा.7 का कोई अनुचित पक्ष ले रहा था। हालाँकि, यह सत्य हो सकता है कि उसने उसकी परिस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न न किये हों, मृत्युकालिक कथन, जो कि बनते हुए देखा गया, हमारी दृष्टि में, मृत्युकालिक कथन देने के लिए मृतका की शारीरिक व मानसिक परिस्थिति के प्रति प्रयाप्त रूप से निश्चित करता है। इस सन्दर्भ में, हमें ध्यान देना चाहिए कि अपीलार्थी के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है कि 24.01.2008 तथा 25.01.2008 के बाद, मृतका की स्थिति अत्यधिक खराब हो गई हो। इस पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि, मृत्यु 27.01.2008 को अर्थात् कथन देने के छठे दिन ही हुई थी। इसलिए, हम यह सुविचारित मत रखते हैं कि मृतका कथन देने की स्थिति में थी।

क्या मृत्युकालिक कथन महज कोरी कल्पना से अधिक है?

40. तथापि, जो प्रश्न उठता है वह है कि कहीं मृत्युकालिक कथन, सिखाये, उकसाये जाने तथा उसकी मुक्त कल्पना का परिणाम होने के कारण दूषित तो नहीं हो गया था। आखिरी बिंदु पहले लेते हुए, यानी, कि मृत्युकालिक कथन मृतका की कल्पना का मनगढ़ंत कथन नहीं होना चाहिए, अपीलार्थी द्वारा कुछ भी ऐसा स्थापित नहीं

किया गया है जो यह दर्शाये कि मृतका द्वारा भौतिक स्थलों कमरों आदि एवं वस्तुओंके सन्दर्भ में वर्णित तथ्य ज़मीनी सत्यता से मिलान नहीं खाते हैं। वास्तव में, हमारे सामने यह मानने के लिए कोई सामग्री नहीं है जो साबित करें कि मृत्युकालिक कथन उसकी कल्पना की निर्मिती है।

क्या 24.01.2008 तथा 25.01.2008 को किये गए कथन मृत्युकालिक कथन हैं?

41. हम राज्य के इस तर्क से ज्यादा प्रभावित नहीं हैं कि 24.01.2008 को अस्पताल में दिया गया बयान तथा 25.01.2008 को पुलिस अधिकारी के सम्मुख दिया गया बयान मृत्युकालिक कथन नहीं हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत, व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के विषय में या उस मामले की किसी भी परिस्थिति जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई, के विषय में किया गया कोई भी कथन महत्वपूर्ण होगा। एक बार जब यह सिद्ध हो जाए कि यह कथन मृतका द्वारा दिया गया है तब इसे इस आधार पर आमन्य नहीं किया जा सकता कि यह विस्तृत नहीं है या इसे एक विशेष शैली में दर्ज नहीं किया गया है। हमने पहले ही इस ओर ध्यान दिया है कि यह सिद्धांत कि कथन संक्षिप्त है, इसकी विश्वसनीयता को घटा नहीं सकता। समान रूप से, जब भिन्न-भिन्न मृत्युकालिक कथन मौजूद हों, तो यह कानून नहीं है कि न्यायालय को सदा अभियोगात्मक कथन को ही वरीयता देनी चाहिए तथा उस

कथन को खारिज कर देना चाहिए जो अभियुक्त को दोषी नहीं ठहरता। असल बिंदु यह सुनिश्चित करना है कि सत्यता किस में है।

### अतिरिक्त विश्लेषण

42. 24.01.2008 को, अपीलार्थी तथा मृतका को झुलसने के कारण चोटें आई थीं। पुलिस नियन्त्रण कक्ष को एक कॉल की गई थी। अभि.सा.22- पुलिस आरक्षी द्वारा अपीलार्थी तथा मृतका को अस्पताल ले जाने के विषय में गवाही दी गई थी। अभि.सा.29- जांच अधिकारी ने घटना स्थल पर तुरंत पहुँचने के विषय में कहा है। उसने बयान दिया है कि उसने पूछताछ की थी। वह वहाँ लगभग दो घंटे तक रुका था। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मृतका तथा अपीलार्थी, जिन्हें चोटें आई थी, अस्पताल में थे, अर्थात्, सफदरजंग अस्पताल में। अभि.सा.13- सहायक उप निरीक्षक ने 24.01.2008 को प्राप्त कॉल का उत्तर देने, स्थल का निरीक्षण करने के विषय में गवाही दी है। फोटो खींचे गए थे। अभि.सा.14-पुलिस फोटोग्राफर की गवाही ली जा चुकी है। वह घटना स्थल पर 24.01.2008 को रात के लगभग 09:00 बजे जाने के विषय में कहता है। उसने नौ फोटो लिए थे। उन फोटो में से दो धुंधले थे। उसने नेगेटिव्स प्रस्तुत किये हैं। वह प्लास्टिक कैन के फोटो के साथ-साथ माचिस की तिल्ली के फोटो के विषय में भी कहता है। मृतका की एमएलसी पर आगमन का समय रात के 09:30 प्रदर्शित है। आगे इस पर ध्यान दिया गया है कि, मरीज़ ठीक से विवरण नहीं दे रही थी। इसके उपरान्त, यह कहा गया है कि, यह तथाकित रूप

से एक दुर्घटनावश लगी आग का मामला था जो कि शायद बाईक की रिस रही पेट्रोल टंकी के समीप पति द्वारा धूम्रपान हेतु माचिस की तिल्ली जलाने का प्रयास करने के कारण लगी थी। यह भी कहा गया है, जैसा कि मरीज़ द्वारा स्वयं बताया गया। मरीज़ को झुलसने की चोटें अपने पति के साथ हुई थी। आगे यह भी कहा गया था कि मरीज़ अपने शरीर से आ रही मिट्टी तेल की गंध का कारण बताने में असमर्थ थी। वह दुर्घटना विभाग में पीसीआर वैन द्वारा लाई गई थी। उसके चहरे गर्दन, धड़ के अग्रभाग, निचले भाग, दोनों हाथों, दोनों पैरों के हिस्सों पर झुलसने के गहरे घाव थे। आगे यह भी कहा गया है कि मरीज़ बहुत गंभीर है। तथापि, यह लिखा है, मरीज़ होश में है, केन्द्रित है, मौखिक आदेशों का पालन करती हैं, बोल पाती हैं। यह भी कहा गया है कि मरीज़ के शरीर में मिट्टी तेल की गंध है। चोटों की प्रकृति को 'घातक' वर्गीकृत किया गया था। चिकित्सक डॉ. के.के. शर्मा हैं। यह इसके बाद है कि अगले दिन 25.01.2008 को रात 01:30 बजे, मृतका द्वारा जांच अधिकारी को एक बयान दिया गया जो हमारे द्वारा पहले ही उद्धरित है। यह इसके बाद है कि मृत्युकालिक कथन दिनांकित 27.01.2008 (ऊपर उद्धरित) को दर्ज किया गया।

43. दो न्यायालयों द्वारा पाया गया है कि अभि.सा.1 अपीलार्थी का साडू-भाई व अभि.सा.7 अपीलार्थी की सास, इसके साक्षी थे। अभि.सा.29 वह पुलिस अधिकारी है जिसने बयान दर्ज किया है। उसने यह भी गवाही दी है कि कॉल प्राप्त होने पर, जो

निसंदेह ही, अभि.सा.1 द्वारा की गई कॉल थी, वह अस्पताल आया था तथा बयान दर्ज किया।

44. हम तथ्यों से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हैं। आग, जो अंततः मृतका की मृत्यु का कारण बनी, के लगने के केवल दो ही संभव कारण हो सकते हैं। यह या तो दुर्घटनावश है या फिर मानव वध हेतु। यदि यह दुर्घटनावश पाई जाती है, तो निश्चित ही, यह मानव हत्या को नकार देगी। इसका विपरीत भी सत्य है।

वह भाषा जिसमें मृत्युकालिक कथन को दर्ज किया गया

45. दिनांक 27.01.2008 का मृत्युकालिक कथन हिंदी भाषा में दर्ज देखा गया है। ऐसा कोई मामला नहीं है जो बताए कि मृतका हिंदी से परिचित नहीं थी तथा हम सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष कर सकते हैं कि मृत्युकालिक कथन उस ही भाषा में दर्ज किया गया था जिससे मृतका परिचित थी। इस विषय में कोई भी संदेह नहीं हो सकता।

मृत्युकालिक कथन एक विस्तृत बयान है

46. दिनांक 27.01.2008 का मृत्युकालिक कथन एक काफी लम्बा बयान है। इसमें उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अर्थात् 24.01.2008 को क्या हुआ था, के विषय में विस्तृत जानकारी है। इसमें काफी चित्रात्मक शैली में वह स्थल जहाँ यह घटा, वह तरीका जिसमें यह घटित हुआ व इसमें अपीलार्थी द्वारा निभाई गई विशेष भूमिका के

सन्दर्भ में विस्तृत जानकारी है। यहाँ तक कि वस्तुएँ (मोटरसाइकिल की उपस्थिति), दरवाज़े का लॉक होना भी नज़र आता है। साथ ही वह सम्बन्ध जो अपीलार्थी का अपनी भाभी के साथ चल रहा था के विषय में भी बताया गया था।

### मिट्टी तेल की गंध

47. रिकार्ड में, मौखिक गवाही एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य, दोनों ही तरह के साक्ष्य उपलब्ध हैं, जो बताते हैं कि परिसर में मिट्टी तेल रखा हुआ था। कैन पाई जाती है, कैन की फोटो ली जाती है। यह फॉरेंसिक परीक्षण के लिए भी भेजी जाती है।

48. साक्ष्य में मिट्टी तेल की गंध का जिक्र मिलता है। सबसे पहला उपलब्ध दस्तावेज़, अर्थात् एमएलसी, दिनांक 24.01.2008 का है। उस ही में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृतका के शरीर से मिट्टी तेल की गंध आ रही है। जांच अधिकारी द्वारा अगले दिन, अर्थात्, 25.01.2008 को दर्ज दूसरे बयान में यह कहा गया है कि मरीज़ अपने शरीर से आ रही मिट्टी तेल की गंध का कारण बताने में असमर्थ थी। यह अपीलार्थी द्वारा दिए गए बयान के सन्दर्भ में है जो कि दर्ज भी किया जा चुका है। जहाँ तक मिट्टी तेल की उपस्थिति की ओर संकेत करने वाले अतिरिक्त साक्ष्य का सम्बन्ध है, अभि.सा.1 का साक्ष्य मौजूद है जो मृतका के ऊपर अपीलार्थी द्वारा मिट्टी तेल उड़ेलने के बारे में बताये जाने के विषय में बताता है। अभि.सा.7 अपीलार्थी की सास बयान देती है कि उसकी बेटी ने अस्पताल में रहने के दौरान उसे बताया था कि मिट्टी तेल को अनाज रखने के एक छोटे से डिब्बे में पीछे रखा गया

था। अपीलार्थी ने उसके ऊपर मिट्टी तेल उड़ेला था। उसने थोड़ा सा मिट्टी तेल अपने ऊपर भी छिड़का था। वह, निसंदेह ही, बयान देती है कि उसने पुलिस के सामने बयान दिया था कि उसका कोई राशन कार्ड नहीं था, कि वे कभी भी मिट्टी तेल नहीं खरीदते थे या कभी भी मिट्टी तेल रखते थे तथा मिट्टी तेल बाहर से ही खरीदा गया होगा। उससे, निसंदेह रूप से बयान में इस तरह की काट-छांट के विषय में पूछताछ हुई थी। अभि.सा.8 द्वारा पोस्ट-मोर्टेम किया गया था। उसने, निसंदेह रूप से मिट्टी तेल की गंध नहीं पाई। परन्तु यहाँ हम राज्य की ओर से अधिवक्ता का यह कथन दरकिनार नहीं कर सकते कि पोस्ट-मोर्टेम 03.02.2008 को किया गया था, जो कि घटना से करीब दस दिन बाद था।

49. अभि.सा.29 जांच अधिकारी है। वह गवाही देता है कि मिट्टी तेल की कैन पड़ी हुई थी तथा कैन के सभी ओर मिट्टी तेल फैला पड़ा था। उसने जल चुकी माचिस कि तिल्ली तथा माचिस की डब्बी को ज़ब्त करने के विषय में कहा है। वह दोहराता है कि, उसने रिपोर्ट में, उसके द्वारा ज़ब्त किये गए कपड़ों से आती मिट्टी तेल की गंध के विषय में जिक्र किया है।

50. अभि.सा.30 वह चिकित्सक है जिन्होंने डॉ. के.के.शर्मा जिन्होंने अन्य बातों के साथ ही 24.01.2008 को मृतका का बयान लिया था, की लिखावट की पहचान की थी। वह कहते हैं कि 24.01.2008 को डॉ. के.के.शर्मा ने मृतका का परीक्षण भी किया था जिसका चिकित्सीय विवरण कथित रूप से तब जलने का था जब मरीज़ का पति



धूम्रपान हेतु माचिस की तिल्ली जलाने का प्रयास कर रहा था और दुर्घटनावश आग लग गई, जो संभवतः पास खड़ी बाइक के टैंक से रिस रहे पेट्रोल के कारण हुआ, जैसा कि स्वयं मरीज़ द्वारा बताया गया था। वह यह भी कहता है कि मरीज़ अपने पति के साथ झुलस गई और अपने शरीर पर मौजूद मिट्टी तेल की गंध का कारण बताने में असमर्थ थी। अधिक महत्वपूर्ण रूप से, यह भी कहा गया है कि डॉ. के.के.शर्मा ने एक टिपण्णी भी संलग्न की थी कि मरीज़ उचित चिकित्सीय विवरण नहीं बता रही है। प्रतिपरीक्षण में, यह सुझाव दिया गया कि क्योंकि अस्पताल में स्पिरिट उपयोग किया जाता है, तो हो सकता है चिकित्सक को शरीर पर मिट्टी तेल होने का भ्रम हुआ हो। यह सुझाव अभि.सा.30 द्वारा असत्य करार देकर नकार दिया गया था तथा उन्होंने आगे कहा था कि स्पीरिट तथा मिट्टी तेल की गंध भी अलग-अलग होती है। इस ओर ध्यान दिया जाए कि सुझाव यह नहीं है कि चिकित्सक मिट्टी तेल व पेट्रोल की गंध के बीच भ्रमित था। हालाँकि, अभि.सा.30 आगे कहता है कि मिट्टी तेल पेट्रोलियम का उत्पाद है। अभि.सा.30 इसे भी असत्य मानकर नकारता है कि किसी दुर्गन्ध को गलती से मिट्टी तेल की गंध मान लिया गया था।

51. अभि.सा.31 सी.एफ.एस.एल. में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (रसायन विज्ञान) हैं। उन्होंने बयान दिया है कि रासायनिक व गैसीय क्रोमैटोग्रफिक परीक्षण करने पर प्रदर्श 1ए, 1बी, 2ए, 2बी, 2सी, 2डी तथा 2एफ तथा प्रदर्श 3 में मिट्टी तेल के अवशेष पाए गए। प्रदर्श 4 व प्रदर्श 5 में मिट्टी तेल, डीजल व पेट्रोल के अवशेष

नहीं पता चल सके। वे आगे निम्नानुसार कथन करते हैं “केवल उस ही मामले में, यदि पेट्रोल तथा मिट्टी तेल के एक मिश्रण में मिट्टी तेल की मात्रा अधिक है, तो इससे मिट्टी तेल की गंध आएगी। अवशेष लगभग एक वर्ष या इतना ही बचे रह सकते हैं, जब तक कि वस्तु को सूर्य की किरणों न रखा जाए तथा अच्छे से संरक्षित न किया जाए।

52. प्रदर्श 1ए, जिसमें मिट्टी तेल के अवशेष पाए गए हैं, भूरे रंग की शर्ट है। प्रदर्श 1बी नीले रंग की जीन्स है। प्रदर्श 2ए जिसमें मिट्टी तेल पाया गया है, एक काले बार्डर वाला प्रिंटेड स्कार्फ है। प्रदर्श 2बी आंशिक रूप से जला चमकीला प्रिंटेड शाल थी। प्रदर्श 2सी जिसमें फिर से मिट्टी तेल के अवशेष पाए गए हैं, सरसों के रंग के कार्डिगन के टुकड़े हैं जो कि आंशिक रूप से जले हुए थे। प्रदर्श 2डी पीले रंग का कपड़े का टुकड़ा है जो कि कथित रूप से अध-जली हालत में कुर्ता है। प्रदर्श 2एफ हरे रंग का आंशिक रूप से जला कपड़ा है जो कि कथित रूप से ब्रा है। इसमें भी मिट्टी तेल के अवशेष हैं। प्रदर्श 4 में दो जल चुकी माचिस की तिल्लियाँ हैं जिसमें मिट्टी तेल, डीजल या पेट्रोल मौजूद नहीं था। यह अभियोजन द्वारा चित्रित मिट्टी तेल के उपयोग की शैली के मामले में भिन्न नहीं है। प्रदर्श 5 में लोहे व तांबे धातु की कैंची है। मिट्टी तेल की उपस्थिति से संबंधित ज़बरदस्त साक्ष्य, कैन से शुरू होकर, अभि.सा.29 द्वारा उस ही दिन निरीक्षण करने पर कैन के नज़दीक मिट्टी तेल पाया जाना, मृतका तथा अपीलार्थी दोनों के ही कपड़ों पर मिट्टी तेल के अवशेषों

की उपस्थिति, जैसा कि वैज्ञानिक विशेषज्ञ द्वारा पाया गया, यह स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि आग लगाने के लिए मिट्टी तेल का उपयोग किया गया था। यह अभियोजन को पूरी तरह से मज़बूती देता है। यह अत्यधिक स्पष्ट रूप से अपीलार्थी द्वारा बनाए जा रहे मामले को नकार देता है कि यह एक दुर्घटनावश लगी आग का मामला है जो कि तब लगी जब अपीलार्थी अपनी बीड़ी जला रहा था और मोटरबाइक से रिसाव के कारण आग लगी। जैसा कि वैज्ञानिक विशेषज्ञ द्वारा गवाही दी गई, मिट्टी तेल की गंध की सम्भावना केवल तभी रहेगी यदि पेट्रोल में मिट्टी तेल की मात्रा अधिक होगी। दूसरे, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रिसाव इस मात्रा तक नहीं रहा होगा जो इस तरह की घटना को अंजाम दे सके।

### अन्य परिस्थितियाँ

53. इसके विपरीत, हमें इसकी भी जाँच करनी चाहिए कि कौन सी परिस्थितियाँ अपीलार्थी के पक्ष में चुन कर निकाली जा सकती हैं। पहले दो बयानों में, जो कि मृतका द्वारा पुलिस को दिए गए थे, एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना को दोष दिया गया है, जो कि अपीलार्थी द्वारा अपनी बीड़ी जलाने का प्रयास करते समय व मोटरबाइक से रिसाव के कारण घटी। यही संस्करण 25.01.2008 को पुलिस को दिए बयान में भी दोहराया गया है। अभि.सा.1 बयान देता है, तथा यह राज्य के लिए अधिवक्ता द्वारा भी विवादित नहीं है, कि मृतका ने मृत्युकालिक कथन दिनांकित 27.01.2008 में

अपने पैर का निशान दिया था। अभि.सा.29, तथापिअंगूठे के निशान की बात करता है। यह स्पष्ट रूप से अधिकारी की यादाश्त की भूल है।

54. सिखाने व उकसाने पर आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभि.सा.1-अपीलार्थी के साइ-भाई ने पुलिस अधिकारी को जानकारी दी, अभि.सा.29 पुलिस अधिकारी दिनांक 27.01.2008 को आया व उसने कथन लिया। यह सत्य है कि मृत्युकालिक कथन करते समय अभि.सा.1 तथा अभि.सा.7 की उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता। अभि.सा.29 के मृत्युकालिक कथन लेने आने से पहले, मृतका के साथ उनकी नज़दीकी आसानी से मानी जा सकती हैं।

55. यह एक दोधारी तलवार है। एक ओर, यदि बयान दर्ज करने वाला पुलिस अधिकारी किसी अन्य को साक्षी के रूप में बुलाता, जबकि माता तथा अन्य रिश्तेदार पास ही उपस्थित थे, तब इसे इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह अस्वाभाविक है। वहीं दूसरी ओर, यदि ऐसे निकट सम्बन्धियों को साक्षी बनाया जाता है तथा बाद में यह निकलता है कि एक मामला बनाया जा रहा है, कि मृत्युकालिक कथन को एक विशेष शैली में बनाने में उनके हित निहित थे, दुबारा, अभियोजन मुसीबत में होगा। तथापि, इस मामले में, मृत्युकालिक कथन को संदेह के दायरे में लाने हेतु अपीलार्थी द्वारा बनाए गए अभियोग की प्रकृति, अभि.सा. 1 द्वारा दिखाई जा रही दिलचस्पी के आधार पर, अपीलार्थी को मुख्यतः संपत्ति के उत्ताधिकार से रोकने हेतु, षडयंत्र सिद्धांत की है। हमने पहले ही इसको देख लिया है और पाया है

कि कथित संस्करण पूर्णतः अस्वीकार्य है। यदि ऐसा है भी, तो इस मामले के तथ्यों में, हम अभि.सा.1 द्वारा निभाई गई भूमिका, जैसे पुलिस अधिकारी को बुलाना तथा मृत्युकालिक कथन में साक्षी होना, के विषय में हम इस से अधिक नहीं पा सकते। अभि.सा.1 तथा 7 मृत्युकालिक कथन के साक्षी थे। उन्होंने मृत्युकालिक कथन के विषय और इसके अभि.सा.29 द्वारा दर्ज किये जाने के विषय में भी कहा है।

56. अब प्रश्न मृतका से सम्बंधित पिछले बयानों के उन तथ्यों के विषय में उठता है जो एमएलसी दिनांकित 24.01.2005 तथा 25.01.2008 को दर्ज मृतका के बयान में समाहित हैं। न्यायालयों का रुख यह है कि मृतका तथा अपीलार्थी को एक ही अस्पताल में भर्ती किया गया था, अपीलार्थी की उपस्थिति मृतका के सच बोलने के रास्ते में आई होगी।

57. हमारा विचार यह है कि एमएलसी दिनांकित 24.01.2008 में तथा अगले दिन, जो है 25.01.2008, को लिए गए बयान में मृतका से सम्बंधित बयान को निचली अदालतों ने नज़रअंदाज़ कर कोई गलती नहीं की है। घटना, जैसा कि स्वीकृत है, 24.04.2008 की शाम को घटी। अपीलार्थी तथा मृतका को पुलिस द्वारा पीसीआर वाहन में अस्पताल ले जाया गया। यह अपीलार्थी की नज़दीकी है, जो मृतका द्वारा मामले की सत्यता के खुलासे के रास्ते में स्पष्ट रूप से खड़ी थी। अपीलार्थी तथा मृतका 25.01.2008 को भी एक ही अस्पताल में थे। इस सन्दर्भ में, अभियोजन द्वारा विश्वास की गई मृत्युकालिक कथन में, मृतका ने कहा कि क्योंकि अपीलार्थी

ने उसको धमकी दी थी, वह उस ही दिन बयान नहीं दे पाई थी। स्पष्ट रूप से,  
इसका अर्थ है कि वह इस आधार पर आगे बढ़ी है कि 27.01.2008 को किया गया  
मृत्युकालिक कथन उसके द्वारा किया जा रहा प्रथम मृत्युकालिक कथन है। दूसरे  
शब्दों में 24.01.2008 को भर्ती होते समय दिए गए बयान को उसने मृत्युकालिक  
कथन नहीं माना है। इसलिए भी, 25.01.2008 को बयान देते समय, वह अपने  
पति द्वारा दी गई धमकी के प्रभाव में कार्य कर रही थी।

58. इसके आगे, उसके द्वारा उसकी हत्या का उद्देश्य अपीलार्थी के अपनी भाभी  
के साथ अवैध संबंधों को बताया गया है। उसने उन मतभेदों का भी जिक्र किया है  
जो उसके अपने पति से थे और उस समझौते का भी जिक्र किया जो पंचायत में  
हुआ था। अभि.सा.7 मृतका की माता ने भी उन संबंधों के विषय में कहा है, जो  
अपीलार्थी के अपनी भाभी से थे। अतः, मृतका द्वारा अपीलार्थी से सम्बद्ध किया  
गया उद्देश, उसकी कल्पना का मनगढ़ंत कथन नहीं है। वह इस सन्दर्भ में बहुत  
स्पष्ट व साफ़ है।

59. मृत्युकालिक कथन दिनांकित 27.01.2008 में वह एक लड़के के विषय में  
बताती है, अर्थात्, दिनेश जैन, एक पड़ोसी जो कि मुख्य द्वार फांद कर अन्दर आया  
और जिसने हैंडपंप की हथ्थी (हैंडल) की सहायता से मुख्य द्वार में लगा ताला तोड़ा।  
दिनेश जैन का अभि.सा.24 के रूप में परीक्षण किया गया है। वह बयान देता है कि  
24.07.2008 को, रात के लगभग 08:00 बजे उसने चीखों की आवाज़ सुनी। उसने

अपीलार्थी तथा मृतका दोनों को आग से लिपटा देखा। उसने अभि.सा.7 के घर के दरवाज़े को धक्का देने की कौशिश की परन्तु यह खोला न जा सका। वह दिवार पर चढ़ गया। उसने पाया की दरवाज़ा अन्दर से लॉक किया हुआ था। घर के अंदर पहुँचने के बाद, उसे घर में हैंड-पंप मिला। उसने हथ्थी खींच कर निकाल ली, और उसके द्वारा, ताला तोड़कर खोल दिया। जब तक वह घर से बाहर आया कुछ लोग वहाँ इकठ्ठा हो चुके थे। प्रतिपरीक्षण में, उसने कहा कि पुलिस ने उसका बयान न तो घटना वाले दिन और न ही किसी और दिनांक को दर्ज किया। हैंडपंप के निकट एक मोटरबाइक पड़ी देखी गई थी। वह घर में कमरों की संख्या बताने में असमर्थ था। यह पहली बार है कि वह वहाँ जा रहा है। उसने आग बुझाने का प्रयास नहीं किया। हैंडपंप की हथ्थी आसानी से निकाली जा सकी क्योंकि वहाँ कोई नट नहीं लगा था और केवल एक कील थी। यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि केवल अभि.सा.1 व अभि.सा.7 के द्वारा सिखाने या उकसाने पर मृतका ने, अभि.सा.24 द्वारा क्या किया गया था, के विषय में विवरण दिया हो। अतः, बयान का यह भाग अभि.सा.24 के परिपोषी साक्ष्य से मज़बूत होता है।

60. बचाव पक्ष के वास्तविक मामले की सामग्री की जाँच करते हैं, जैसा कि 24.01.2008 दिनांकित एमएलसी में बयान तथा 25.01.2008 के बयान से स्थापित करने की माँग की गई है। एमएलसी में स्थापित मामला यह है कि मृतका को तब झुलसने से चोटें आई जब अपीलार्थी ने धूम्रपान हेतु माचिस की तिल्ली जलाने का

प्रयास किया और मोटरबाइक की टंकी से रिस रहे पेट्रोल के कारण आग लग गई। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, पेट्रोल की कोई गंध नहीं पाई गई है। तथापि, जिस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है वह है मिट्टी तेल की उपस्थिति, बिल्कुल उस ही बयान में, जो कि 24.01.2008 को मृतका का ही माना गया है, यह दर्ज किया गया है कि मृतका अपने शरीर से आती मिट्टी तेल की गंध का कारण बताने में असमर्थ थी। यह, स्पष्ट रूप से, दिखाता है कि मृतका को आशा थी कि वह बच जाएगी, और यदि वह मिट्टी तेल की गंध के कारण को समझाएगी, जो कि आवश्यक रूप से अपीलार्थी हेतु अभियोगात्मक होगा, और उसके वैवाहिक जीवन के बचने की उम्मीद समाप्त हो जाएगी। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, डॉ.के.के. शर्मा की एक टिपण्णी है कि मरीज़ उचित चिकित्सीय विवरण नहीं बता रहा था। यहाँ वर्णित धमकी का पहलू भी है। चाहे यह उसकी इच्छा थी या धमकी, दोनों ने ही सच का खुलासा नहीं होने दिया। 25.01.2008 के बयान में यह कहा गया है कि मृतका ने गवाही दी है कि वह अपीलार्थी तथा माता के साथ रहती है। इससे पहले, मृतका व अपीलार्थी के बीच कुछ समस्या रह चुकी थी। वह पिछले एक वर्ष से अपीलार्थी के साथ खुशी से रह रही थी। उनके बीच ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी। माँ 24.01.2008 को, छोटी बहन राकेश के ससुराल, रोहतक चली गई थी। अपीलार्थी शाम को लौटा। उन्होंने रात का खाना खाया और सोने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। उसने दरवाज़ा लॉक किया जब अपीलार्थी मोटरबाइक के निकट बीड़ी पी रहा था। अचानक



से, मोटरसाइकल ने आग पकड़ ली। अपीलार्थी आग बुझाने का प्रयास कर रहा था व उसके कपड़ों ने भी आग पकड़ ली। दोनों चींखे। पड़ौसियों ने दोनों को बचाया। किसी ने भी यह जानबूझ कर नहीं किया था। उपरोक्त अभियोग ऐसे आधार पर स्थापित किया गया है जो मिट्टी तेल की सम्भावना को मिटा देता है। हाँलाकि, हमने यह देखा है की इस बात के अत्याधिक साक्ष्य हैं कि आग मिट्टी तेल के उपयोग से लगी थी। बयान में अपीलार्थी के शराब पिए होने का कोई ज़िक्र नहीं है। सब कुछ तब तक सामान्य था जब तक मोटरसाइकल के आग पकड़ने पर वह दुर्घटनापूर्ण आग लग गई। मृतका कहती है कि अपीलार्थी आग बुझाने का प्रयास कर रहा था और उसके कपड़ों ने भी आग पकड़ ली। मृतका हाँलाकि, यह नहीं बताती कि वह आग बुझाने गई और इस कारण उसे झुलसने से घाव हुए। दूसरे शब्दों में, 25.01.2008 को दिए बयान में मृतका को कैसे आग लगी इसका कोई कारण नहीं है। ऐसा कोई बयान नहीं है कि उसे अत्याधिक (65 प्रतिशत) झुलसने से घाव तब हुए जब उसने आग बुझाने का प्रयास किया। दूसरे, इस संस्करण में मोटरसाइकिल में आग पकड़ने की बात है। मोटरसाइकिल की तस्वीरें मौजूदा हैं। यह केवल मोटरसाइकल की सीट का एक हिस्सा है जो जला था। इस सन्दर्भ में, इस पर ध्यान देना ठीक होगा कि अभि.सा.14 पुलिस फोटोग्राफर ने 24.01.2008 को रात 09:00 बजे घटना स्थल पर पहुँचने व अन्य चीज़ों के साथ मोटरसाइकल की तस्वीर लेने के विषय में गवाही दी है। 25.01.2008 को दिया गया बयान ऊपर दिए कारणों से

मृतका को झुलसने से हुए घावों के कारण की ओर इशारा करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। यह संस्करण मिट्टी तेल की कैन की उपस्थिति के भी असंगत है जो कि अभि.सा.29 जाँच अधिकारी, अभि.सा.14 फोटोग्राफर तथा तस्वीर के साक्ष्य द्वारा सिद्ध हो चुका है। 24.01.2008 व 25.01.2008 को दिया गया बयान मृतका तथा अपीलार्थी दोनों के ही शरीरों से व कपड़ों से भी आती मिट्टी तेल की गंध के कारण का स्पष्टीकरण नहीं देगा। अभि.सा.30 ने स्पष्ट रूप के कपड़ों से गंध आने का बारे में बोला है (डॉ. के.के. शर्मा द्वारा दर्ज एमएलसी)। यह कि अपीलार्थी अपने शरीर से आती मिट्टी तेल की गंध का कारण बताने में असमर्थ थी। यह पाया गया है कि मरीज़ के शरीर में मिट्टी तेल की गंध उपस्थित थी।

61. यह याद रखना चाहिए कि 27.01.2008 को दिए बयान में, मृतका ने अपीलार्थी के शराब पी कर आने का ज़िक्र किया था। उसने मृतका के ऊपर मिट्टी तेल उड़ेला। उसने स्वयं के ऊपर भी थोड़ा मिट्टी तेल उड़ेला। आग का कारण मिट्टी तेल उड़ेलने के बाद माचिस की तिल्ली जलाना था। मृतका दौड़ती है और हैंडपंप पर लड़खड़ा कर गिर जाती है। हैंडपंप की मौजूदगी, अभि.सा.24, पड़ौसी, के साक्ष्य द्वारा पुष्ट होती है। निःसंदेह, मृत्युकालिक कथन दिनांकित 27.01.2008 में मृतका ने अपीलार्थी द्वारा पेट्रोल पाइप को खींच कर निकालने के कार्य का भी ज़िक्र किया है। अतः, मोटरसाइकल के निकट आग लगने का स्पष्टीकरण मृत्युकालिक कथन दिनांकित

27.01.2008 में दिया गया है। यहीं पर से पूरी घटना में शराब की भूमिका आवश्यक रूप से मस्तिष्क में रखनी चाहिए।

62. 27.01.2008 दिनांकित मृत्युकालिक कथन में, यह सत्य है कि मृतका कहती है कि अपीलार्थी ने स्वयं के ऊपर कम मिट्टी तेल डाला। यह तुरंत ही याद करना होगा कि, मृतका ने बयान दिया था कि अपीलार्थी उस कथित दिन शराब पीकर आया था। अपीलार्थी की यह गतिविधि कि उसने मोटरसाइकिल के पेट्रोल टैंक से पाइप निकाला जिससे आग लगी तथा उसे भी आग ने पकड़ लिया, स्थापित करता है कि आग मोटरसाइकिल के नजदीक लगी। मृतका ने जो कहा है वह मोटरसाइकिल के उस तरह से न जलने के साथ संगत है, जैसा कि साक्ष्य से मिलान खाता है।

63. अपीलार्थी क्यों पेट्रोल टैंक का पाइप निकालेगा, एक ऐसा सवाल है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विचारण न्यायालय यह निर्णय करता है कि यह इसे एक दुर्घटना दिखाने के लिए था कि उसने पेट्रोल पाइप निकाला और यह अपने बचाव के लिए कहा कि रिसते हुए पाइप के कारण आग फैली तथा दोनों को आग लग गई, जिसे बचाव पक्ष ने बिलकुल असंभव पाया था। दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित आदेश में, कहा है कि अपीलार्थी के चहरे, गर्दन व दोनों हाथों पर 40% घावों का होना, मृत्युकालिक कथन दिनांकित 27.01.2008 के अनुकूल पाए जाते हैं जिसमें मृतका ने स्पष्ट किया है कि जब उसने भागने की कोशिश की, तो अपीलार्थी ने उसे बाहर भागने से रोकने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया था। इस प्रकार

उसको चहरे तथा ऊपरी धड़ व हाथों पर झुलसने के घाव हुए। यह सत्य है, एक प्रश्न उठ सकता है कि यदि यह संस्करण स्वीकार किया जाता है और अपीलार्थी को आग मृतका को पीछे से पकड़ने के कारण लगी, वह क्यों पेट्रोल पाइप को बाहर निकालेगा जबकि उसके दोनों हाथों में आग लगी थी। मृत्युकालिक कथन में, मृतका ने कहा है कि अपीलार्थी को तब आग लगी जब अपीलार्थी द्वारा पेट्रोल टैंक का पाइप बाहर निकालने के कारण मोटरसाइकल के नज़दीक आग लग गई थी। यह याद रखना होगा कि अपीलार्थी का मामला यह है कि आग तब लगी जब उसने एक बीड़ी जलायी थी। उसका ऐसा कोई मामला नहीं है कि पेट्रोल टैंक का पाइप निकाला गया था जिस कारण आग लगी। परन्तु अभि.सा.29-जाँच अधिकारी, जो कि घटना स्थल पर 24.01.2008 को गए थे, ने गवाही दी है कि मोटरसाइकलका पेट्रोल पाइप उस जगह से हटा दिया गया था जहाँ उसे होना चाहिए था। जैसा कि पहले ही देखा गया है, उसने यह भी बयान दिया है कि अन्दर के कमरे में, मिट्टी तेल की एक कैन पड़ी थी और मिट्टी तेल कैन के चारों ओर फैला पड़ा था। हमारे पास अभि.सा.29. पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं कि जब वह यह कहते हैं कि अन्दर के कमरे में मिट्टी तेल तथा कैन भी पड़े हुए थे। जैसा कि मृत्युकालिक कथन दिनांकित 27.01.2008 में पेश किया गया है, इस परिस्थिति द्वारा मज़बूती से सिद्ध होता है कि मिट्टी तेल ही वास्तव में वह ईंधन था जिसका उपयोग हुआ और जिसके

कारण झुलसने के घाव हुए तथा अन्दर के कमरे में इसकी मौजूदगी पूरी तरह से मृत्युकालिक कथन दिनांकित 27.01.2008 के अनुकूल है।

64. उपरोक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों में, हमें दखल देने का कोई आधार नहीं मिलता है। अपील खारिज की जाती है। चूंकि अपीलार्थी ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है, उसका ज़मानत-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उसे हिरासत में लिया जाए।

.....(न्यायाधीश)

(संजय किशन कौल)

.....(न्यायाधीश)

(के.एम.जोसेफ)

नई दिल्ली,

सितम्बर 4, 2019

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।